

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 अक्टूबर 2012—कार्तिक 4, शक 1934

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 अक्टूबर 2012

क्र. एफ. 06-04-2012-चौवन-1.—सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ.ए. 01-16-2010-एक(1), दिनांक 22 जून, 2011 द्वारा विमुक्त जाति, घुमक्कड़, अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग का गठन होने के कारण पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण के अन्तर्गत आने वाले खरगौन जिला स्थित बंजारा जाति के छात्रों के लिये संचालित छात्रावास का सम्पूर्ण नियंत्रण एतद्द्वारा विमुक्त जाति विभाग को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जी. एस. खैरवार, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 16 अक्टूबर 2012

फा. क्र. 1(सी)-19-2012-इक्कीस-ब(दो)-संशोधन.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 जुलाई, 2012 में राज्य शासन निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता है :—

आदेश के पांचवा पंक्ति में टंकित “श्री विजय कुमार उईके, जिला अभियोजन अधिकारी, जबलपुर के स्थान पर श्री विजय कुमार उईके, उप संचालक, लोक अभियोजक पढ़ा जावे.

फा. क्र. 1 (सी)-20-2012-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 52 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (8) एवं मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम, 2012 के नियम 7 के

उपनियम (1) एवं नियम 8 के उपनियम 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन एतद्वारा श्री भगवत सहाय श्रीवास्तव, उप संचालक, अभियोजन, रीवा को मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय एवं प्राधिकृत अधिकारी, ग्वालियर के समक्ष विचाराधीन प्रकरणों में मध्यप्रदेश शासन की ओर से संचालन हेतु पदस्थापना ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा अन्य आदेश होने तक के लिये एतद्वारा विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है।

भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2012

फा. क्र. 1(बी)-03-04-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16 जुलाई 2004 के द्वारा श्री भगवान सिंह चूड़ावत, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, तहसील कन्नौद, जिला देवास को नियुक्त किया गया था।

श्री भगवान सिंह चूड़ावत, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, तहसील कन्नौद, जिला देवास की आयु 62 वर्ष पूर्ण हो जाने के कारण उन्हें राज्य शासन विधि विभाग नियमावली 2008 के नियम 20 के अंतर्गत आदेश जारी होने के दिनांक से तत्काल पदमुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव।

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 अक्टूबर 2012

क्र. एफ. 2-01-2008-तेरह.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री सी.एस. शर्मा, सदस्य (इकानामिक्स) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का त्याग-पत्र, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 89 की उपधारा (4) के अंतर्गत दिनांक 26 अक्टूबर 2012 से स्वीकृत करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. गुप्ता, अपर सचिव।

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2012

क्र. डी-15-23-2012-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 5 की

उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 4275, दिनांक 28 जुलाई 1969 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति, जबलपुर के अंतर्गत मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान, उस पर बने समस्त संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को उप मंडी प्रांगण घोषित करती है, अर्थात् :—

स्थान

ग्राम पंचायत, बरगी एवं सालीवाड़ा, तहसील जबलपुर, जिला जबलपुर के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की रकबा 4.094 हेक्टर भूमि का क्षेत्र :—

क्रमांक	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	ग्राम का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	623	1.011	बरगी
2	624	1.060	बरगी
3	284/1	2.023	सालीवाड़ा
		योग . .	4.094

जिसकी सीमाएं

उत्तर में—श्री भरतकुमार जैन, श्री निगार रिजवी.

दक्षिण में—श्री रामप्रताप भूमिया, श्री अरुणकुमार त्रिपाठी.

पूर्व में—श्री पतिराम रजक बगैरह, शासकीय मार्ग.

पश्चिम में—श्री भरतकुमार जैन, श्री अरुण कुमार त्रिपाठी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2012

क्र. डी-15-23-2012-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18 अक्टूबर 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

Bhopal, the 18th October 2012

No. D-15-23-2012-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declared the following area including all structures, enclosure, open places or locality in the market area for which a market at Jabalpur has been established by this

department's Notification even No. 4275, dated 28th July, 1969 shall be the market yard namely :—

PLACE

An area of 4.094 Hector land of Khasra number at Gram Panchayat, BARGI AND SALIWADA in Tehsil JABALPUR of District JABALPUR.

S.No.	Khasra No.	Area (in Hector)	Villages
(1)	(2)	(3)	(4)
1	623	1.011	Bargi
2	624	1.060	Bargi
3	284/1	2.023	Saliwada
		Total . . 4.094	

BOUNDED BY

On the North by—Shri Bharat Kumar Jain, Shri Nigar Rigbe.

On the South by—Shri Rampratap Bhoomiya, Shri Arun Kumar Tripathi.

On the East by—Shri Patiram Rajak, Government Road.

On the West by—Shri Bharat Kumar Jain, Shri Arun Kumar Tripathi.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
HEMRAJ SINGH, Under Secy.

भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2012

क्र. डी-15-23-2012-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 के अधीन घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी क्षेत्र जबलपुर, जिला जबलपुर के निम्नलिखित क्षेत्र को उपमंडी क्षेत्र घोषित करती है :—

क्षेत्र

- (1) ग्राम पंचायत बरगी, तहसील जबलपुर, जिला जबलपुर की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.
- (2) उपमंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र :—

1. बरगी, 2. सालीवाडा, 3. निगरी, 4. खम्हरिया, 5. चौरई,
6. टेमर, 7. पिपरिया, 8. तिन्सी, 9. पारा, 10. पाठ,

11. बहोरीपार, 12. गोकलपुर, 13. जोगीधाना,
14. हरई, 15. ढोडा, 16. चुरिया, 17. बसहा, 18. सगडा, 19. चारघाट, 20. देवरी, 21. बंदरकोला,
22. खुर्सी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2012

क्र. डी-15-23-2012-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18 अक्टूबर 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

Bhopal, the 18th October 2012

No. D-15-23-2012-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declare that in the relation to the market yard *vide* this department's notification even number dated 18th October, 2012 the following area of Jabalpur of District Jabalpur shall be proper market yard :—

AREA

- (1) An area within the limit of Gram Panchayat Bargi in Tehsil Jabalpur of District Jabalpur.
- (2) An area comprising of the following villages within the radius of 5 Kilometers from the sub-market yard namely.
 1. Bargi, 2. Saliwada, 3. Nigri, 4. Khamhariya,
 5. Chorrie, 6. Tamar, 7. Pipriya, 8. Tinsi, 9. Para,
 10. Pata, 11. Bhoripar, 12. Goklpure, 13. Gogidhana, 14. harri, 15. Dhoda, 16. Churiya,
 17. Basha, 18. Sagda, 19. Charghat, 20. Deori,
 21. Bandarkola, 22. Khursi.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
HEMRAJ SINGH, Under Secy.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 15 अक्टूबर 2012

फा. क्र. 1-अ-3-03-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, महाधिवक्ता, कार्यालय जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर एवं ग्वालियर में पदस्थ निम्नलिखित अतिरिक्त महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता, शासकीय अधिवक्ता, उप शासकीय अधिवक्ता, के कार्यकाल में एतद्वारा दिनांक 16 अक्टूबर 2012 से एक माह की वृद्धि करता है :—

महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर में पदस्थ विधि अधिकारीगण

क्रमांक (1)	अधिवक्ता का नाम (2)	पद (3)	गत नियुक्ति दिनांक (4)
1	श्री प्रशांत सिंह	अतिरिक्त महाधिवक्ता	15-7-2011
2	श्री कुमरेश पाठक	उप महाधिवक्ता	15-7-2011
3	श्री पुरुषेन्द्र कौरव	उप महाधिवक्ता	15-7-2011
4	श्री राहुल जैन	उप महाधिवक्ता	15-7-2011
5	श्री सुदेश वर्मा	शास. अधिवक्ता	15-7-2011
6	श्री रोहणी प्रसाद तिवारी	शास. अधिवक्ता	15-7-2011
7	श्री विवेक अग्रवाल	शास. अधिवक्ता	15-7-2011
8	श्रीमती शीतल दुबे	शास. अधिवक्ता	15-7-2011
9	श्री उमेश पाण्डे	शास. अधिवक्ता	15-7-2011
10	श्री एस.के. कश्यप	शास. अधिवक्ता	15-7-2011
11	श्री एस.एस. बिसेन	शास. अधिवक्ता	15-7-2011
12	श्री अशोक चौरसिया	शास. अधिवक्ता	15-7-2011
13	श्रीमती निर्मला नायक	शास. अधिवक्ता	15-7-2011
14	श्री शिवमोहनलाल	शास. अधिवक्ता	15-7-2011
15	श्री राहुल कुमार जैन पुत्र श्री जिनेन्द्र कुमार जैन	शास. अधिवक्ता	15-7-2011
16	श्री पियुष धर्माधिकारी	शास. अधिवक्ता	15-7-2011
17	श्री योगेश दांडे	उप शास. अधिवक्ता	15-7-2011
18	श्री संजय द्विवेदी	शास. अधिवक्ता	12-9-2011
19	श्री राजेश तिवारी	शास. अधिवक्ता	12-9-2011
20	श्री अखिलेन्द्र सिंह	शास. अधिवक्ता	12-9-2011
21	श्री समीर चिले	शास. अधिवक्ता	12-9-2011
22	श्री चन्द्रकान्त मिश्रा	शास. अधिवक्ता	12-9-2011
23	श्री अखिलेश शुक्ला	उप शास. अधिवक्ता	12-9-2011
24	श्री मनीष मिश्रा	उप शास. अधिवक्ता	12-9-2011
25	श्री विजय शंकर पाण्डे	उप महाधिवक्ता	20-10-2011
26	श्री समदर्शी तिवारी	शास. अधिवक्ता	20-10-2011

अति. महाधिवक्ता कार्यालय, इन्दौर में पदस्थ विधि अधिकारीगण

क्रमांक (1)	अधिवक्ता का नाम (2)	पद (3)	गत नियुक्ति दिनांक (4)
1	श्री मनोज द्विवेदी	अतिरिक्त महाधिवक्ता	15-7-2011
2	श्री बनवारीलाल यादव	उप महाधिवक्ता	15-7-2011

(1)	(2)	(3)	(4)
3	श्री दीपक रावल	शास. अधिवक्ता	15-7-2011
4	श्री शिवदत्त बोहरा	शास. अधिवक्ता	15-7-2011
5	श्री सी.आर. कर्णिक	शास. अधिवक्ता	15-7-2011
6	श्री मुकेश परवाल	शास. अधिवक्ता	15-7-2011
7	श्री प्रमोद मीठा	शास. अधिवक्ता	15-7-2011
8	श्री भुवन देशमुख	शास. अधिवक्ता	15-7-2011
9	श्री रघुवीर सिंह चौहान	शास. अधिवक्ता	15-7-2011
10	श्री लड्डुलाल शर्मा	उप शास. अधिवक्ता	15-7-2011
11	श्री राघवेन्द्र सिंह बैस	उप शास. अधिवक्ता	15-7-2011
12	श्रीमती विनिता फाये	उप शास. अधिवक्ता	12-9-2011
13	सुश्री मिनी रविन्द्रन	उप शास. अधिवक्ता	12-9-2011

अति. महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर में पदस्थ विधि अधिकारीगण

क्रमांक (1)	अधिवक्ता का नाम (2)	पद (3)	गत नियुक्ति दिनांक (4)
1	श्री एम.पी.एस. रघुवंशी	अतिरिक्त महाधिवक्ता	15-7-2011
2	श्री विवेक खेड़कर	उप महाधिवक्ता	15-7-2011
3	श्री आर.पी. राठी	शास. अधिवक्ता	15-7-2011
4	श्री मुकुन्द भारद्वाज	शास. अधिवक्ता	15-7-2011
5	श्री प्रवीण निवासकर	उप शास. अधिवक्ता	15-7-2011
6	श्रीमती निधी पाटनकर	शास. अधिवक्ता	15-7-2011
7	श्री प्रवल प्रताप सोलंकी	शास. अधिवक्ता	15-7-2011
8	श्री राघवेन्द्र दीक्षित	शास. अधिवक्ता	15-7-2011
9	श्री बी.के. शर्मा	शास. अधिवक्ता	15-7-2011
10	श्री भगवान राज पांडे	शास. अधिवक्ता	15-7-2011
11	श्री प्रमोद पचौरी	उप शास. अधिवक्ता	15-7-2011
12	कु. नूतन सक्सेना	शास. अधिवक्ता	2-8-2011
13	श्रीमती संगीता पचौरी	उप शास. अधिवक्ता	20-10-2011

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2012

क्र. एफ-3-134-2010-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 “क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-134-2010-

बत्तीस, दिनांक 1 फरवरी, 2012 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित, इन्दौर विकास योजना 2021 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

उपांतरण विवरण

क्रमांक	ग्राम	सर्वे क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भूमि उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भूमि उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	पिपल्याहाना	526	11.161	आमोद-प्रमोद जलाशय	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक (प्रशासकीय) शर्त-सिंचाई विभाग के तालाब से 30 मीटर हरित क्षेत्र छोड़ने के बाद ही नियमानुसार निर्माण कार्य किया जावे.
		कुल योग . .	<u>11.161</u>		

(2) उपरोक्त उपांतरण इन्दौर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.

भोपाल, दिनांक 16 अक्टूबर 2012

क्र. एफ-3-129-2012-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 “क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-129-2012-बत्तीस, दिनांक 18 अप्रैल, 2012 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित, भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

उपांतरण विवरण

क्रमांक	ग्राम	सर्वे क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भूमि उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भूमि उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बरखेड़ा बोंदर	143/1	13.018 में से 8.00	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक पीएस-1 शर्त-1. उपलब्ध पहुंच मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई न्यूनतम 12 मीटर रखी जाये. 2. नाले के किनारे विकास योजना अनुसार हरित क्षेत्र रखा जाये.
		कुल योग . .	<u>8.00</u>		

(2) उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कुलाधिपति, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी
विश्वविद्यालय, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

संशोधित अधिसूचना

क्र. एफ-1-4-12-रा.स.-यू.ए.1-1641.—राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1998 (क्र. 13 सन् 1998) की धारा 12 की उपधारा (2) के तहत इस सचिवालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-4-12-रा.स.-यू.ए.1-1566, दिनांक 3 अक्टूबर 2012 के द्वारा राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु पैनल अनुशासित करने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है.

2. चूंकि, समिति के द्वारा निर्धारित छः सप्ताह की निर्धारित समयावधि में पैनल प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं हो सकेगा. अतः राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1998 (क्र. 13 सन् 1998) की धारा 12 की उपधारा (5) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम कुलाधिपतिजी के द्वारा समिति को पूर्व निर्धारित छः सप्ताह की समयावधि में 2 सप्ताह की और वृद्धि की गई है.

कुलाधिपति, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
भोपाल के आदेशानुसार,
विनोद सेमवाल, राज्यपाल के प्रमुख सचिव.

आर. सी. वी. पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी
मध्यप्रदेश, भोपाल

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 12 अक्टूबर 2012

क्र. 7896-3471-वपप्र-2012.—राज्य शासन द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 8 अगस्त 2012 को प्रश्नपत्र-पुस्तपालन कर निर्धारण (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर
सागर संभाग

1 कु. वैष्णवी पटेल वाणिज्यिक कर अधिकारी

(1) (2) (3)

2	श्री राजेन्द्र कुमार कुशराम	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
3	श्री धनीराम चढार	कराधान सहायक

जबलपुर संभाग

4	श्रीमती मीनाक्षी मेरावी	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
5	श्री मनोज कुमार ठाकुर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
6	श्री रत्नेश प्रताप सिंह परिहार	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
7	कु. संध्या यादव	कराधान सहायक
8	श्री दीपक कुमार डेहरिया	कराधान सहायक
9	श्री दीपक कुमार कमलेश	कराधान सहायक
10	श्री मनोज कुमार उके	कराधान सहायक
11	श्री पीयूष मालवीय	कराधान सहायक
12	श्री शिवनाथ रनपीसिया	कराधान सहायक
13	कु. दीपा मेहरचंदानी	कराधान सहायक
14	कु. पूनम गुरबानी	कराधान सहायक
15	कु. आभा सिंह	कराधान सहायक
16	श्री सौरभ जैन	कराधान सहायक
17	श्रीमती बेगम मरावी	कराधान सहायक
18	कु. उर्मिला पटेल	कराधान सहायक
19	श्री नितिन तिवारी	कराधान सहायक

इन्दौर संभाग

20	श्रीमती रिकी बामनिया	वाणिज्यिक कर अधिकारी
21	श्री मुकेश मोरी	वाणिज्यिक कर अधिकारी
22	कु. वर्षा उडके	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
23	श्री देवेन्द्र कुमार जुगतावत	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
24	कु. संगीता कटारे	कराधान सहायक
25	डॉ. विशाल महाजन	कराधान सहायक
26	श्री राकेश जैन	कराधान सहायक
27	कु. शकुन्तला बामनिया	कराधान सहायक
28	श्रीमती रेखा चौहान	कराधान सहायक
29	कु. उषा करोले	कराधान सहायक
30	श्री सानू जोरम	कराधान सहायक
31	कु. रागिनी अजमेरा	कराधान सहायक
32	कु. मीनाक्षी नागेन्द्र	कराधान सहायक
33	श्री मंसूर अली	कराधान सहायक

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
	रीवा संभाग		26	श्री सुरेन्द्र कुमार कौरव	कराधान सहायक
			27	श्री शिवा गुरू	कराधान सहायक
34	डॉ. दिलीप कुमार सिंह	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.			
				इन्दौर संभाग	
35	सुश्री रश्मि रेखा सिंह	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	28	श्री गुरमीत सिंह वाधवा	वाणिज्यिक कर अधिकारी
36	श्रीमती पूनम तिवारी	कराधान सहायक	29	श्री सुनील बांगर	वाणिज्यिक कर अधिकारी
	निम्नस्तर		30	डॉ. ऋचा नौगरईया	वाणिज्यिक कर अधिकारी
	भोपाल संभाग		31	श्री पप्पू सिंह मईड़ा	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
1	श्री राजेश कुमार परिहार	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	32	सुश्री सोनाली बघेल	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
2	कु. रेखा बड़ोले	कराधान सहायक	33	श्रीमती विजया दीक्षित गुप्ता	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
3	श्रीमती रीटा शर्मा	कराधान सहायक	34	श्री रविशरण सिंह	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
4	श्री अबुल हसन	कराधान सहायक	35	श्री एकेन्द्र कुमार बंसोड़	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
5	श्री संजय कुमार केशरवानी	कराधान सहायक	36	श्री सुशील मंगल	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
6	श्री जूगल किशोर	कराधान सहायक	37	श्री मेहताब सिंह सिसोदिया	कराधान सहायक
7	श्री सुधीर कुमार सोनी	कराधान सहायक	38	डॉ. निलेश महाजन	कराधान सहायक
8	श्री गौरव शर्मा	कराधान सहायक	39	श्री मोहन कोठे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
9	श्री रीतेश पटेल	कराधान सहायक	40	श्री संदीप अग्रवाल	कराधान सहायक
	सागर संभाग		41	श्रीमती ज्योति सिंह	कराधान सहायक
10	श्री सत्यम चौबे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	42	श्री कैलाश नरगावें	कराधान सहायक
11	श्री गुड्डू काछी	कराधान सहायक	43	कु. सुचित्रा अचाले	कराधान सहायक
12	श्री राकेश कुमार शुक्ला	कराधान सहायक	44	श्री इन्दर सिंह चंगोड़	कराधान सहायक
13	श्री नीलेश कुमार यादव	कराधान सहायक	45	श्री संजीव गुजराती	कराधान सहायक
	ग्वालियर संभाग		46	श्री महेश गोलकर	कराधान सहायक
14	कु. प्रतिभा किरण	कराधान सहायक	47	श्री सुजान वास्कले	कराधान सहायक
	जबलपुर संभाग		48	श्री संतोष सोलंकी	कराधान सहायक
15	श्री संतोष कुमार गुप्ता	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	49	श्री राजेन्द्र कुमार बोरासी	कराधान सहायक
16	श्री राजेश यादव	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	50	श्री मंगेश वावगे	कराधान सहायक
17	श्री दिनेश सिंह	कराधान सहायक	51	कु. अनविक्षा परमार	कराधान सहायक
18	श्री ज्ञानचंद सल्लाम	कराधान सहायक	52	कु. चंचल अवासिया	कराधान सहायक
19	श्रीमती सीमा श्रीवास्तव	कराधान सहायक	53	श्री विशाल ललावत	कराधान सहायक
20	कु. ज्योति नापित	कराधान सहायक	54	श्री नर्मदा प्रसाद इस्कले	कराधान सहायक
21	श्री अरविन्द कुमार लोधी	कराधान सहायक	55	सुश्री क्षमा अग्रवाल	कराधान सहायक
22	श्री शिवशरण लोधी	कराधान सहायक	56	कु. अंतिम दरड़ा	कराधान सहायक
23	श्री रजीत सिंह राजपूत	कराधान सहायक	57	कु. सोनाली गुप्ता	कराधान सहायक
24	कु. नीता धुर्वे	कराधान सहायक	58	श्री सुनील भाटिया	कराधान सहायक
25	श्री आशीष कुमार जाट	कराधान सहायक	59	श्री दीपराज रावत	कराधान सहायक
			60	सुश्री अलका बात्री	कराधान सहायक
			61	श्री शीतल सिंह अजनारिया	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
			62	श्री जगतसिंह निगंवाल	कराधान सहायक
			63	सुश्री रीना उइके	कराधान सहायक
			64	श्रीमती ममता काले (पिंपलगांवकर)	कराधान सहायक

(1)	(2)	(3)
65	कु. वर्षा पुविया	कराधान सहायक
66	श्री महेन्द्र सिंह खोड़िया	कराधान सहायक
67	श्री अभिषेक उपाध्याय	कराधान सहायक

रीवा संभाग

68	श्री शैलेन्द्र पाण्डेय	कराधान सहायक
69	श्री नरेश कुमार पाल	कराधान सहायक

क्र. 7899-3442-अका-विपप्र-2012.—राज्य शासन द्वारा पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 6 अगस्त 2012 को प्रश्नपत्र—पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया (टिप्पणी रहित-पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनुक्रमांक परीक्षार्थी का नाम		पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर**भोपाल संभाग**

1	श्री विनोद तिकी	उप पंजीयक
---	-----------------	-----------

होशंगाबाद संभाग

2	श्री हेमन्त कुमार सोनकेशरिया	उप पंजीयक
---	------------------------------	-----------

जबलपुर संभाग

3	श्री प्रेमलाल बघेल	उप पंजीयक
---	--------------------	-----------

शहडोल संभाग

4	श्री शेख मोहम्मद नवाज	उप पंजीयक
---	-----------------------	-----------

निम्नस्तर**भोपाल संभाग**

1	कु. मधुलिका सिंह	उप पंजीयक
---	------------------	-----------

इन्दौर संभाग

2	श्री बायसिया निंगवाल	उप पंजीयक
---	----------------------	-----------

ग्वालियर संभाग

3	श्री महेन्द्र सिंह कौरव	उप पंजीयक
---	-------------------------	-----------

रीवा संभाग

4	कु. अनिता रैदास	उप पंजीयक
---	-----------------	-----------

क्र. 7901-3447-अका-विपप्र-2012.—राज्य शासन द्वारा सहाकारिता विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 7 अगस्त 2012 को प्रश्नपत्र—बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनुक्रमांक परीक्षार्थी का नाम		पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर**भोपाल संभाग**

1	श्री अखिलेश चौहान	सहायक आयुक्त
2	श्री छविकान्त वाधमारे	सहायक आयुक्त (सश्रेय)

इन्दौर संभाग

4	श्री संजय सिंह आर्य	सहायक आयुक्त (सश्रेय)
---	---------------------	-----------------------

क्र. 7903-3464-अका-विपप्र-2012.—राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 9 अगस्त 2012 को प्रश्नपत्र—लेखा प्रथम एवं लेखा द्वितीय विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनुक्रमांक परीक्षार्थी का नाम		पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर**भोपाल संभाग**

1	श्री जे. विजय कुमार	सहायक कलेक्टर
2	सुश्री रूचिका चौहान	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
3	श्री विजय दत्ता बी.	सहायक कलेक्टर
4	श्री मोहित बुन्दस	सहायक कलेक्टर
5	श्री सौरभ कुमार सुमन	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
6	श्री अनुग्रह पा	सहायक कलेक्टर
7	सुश्री नेहा मारव्या	सहायक कलेक्टर
8	श्री हरजिन्दर सिंह	सहायक कलेक्टर
9	श्री व्ही. एस. चौधरी कोलसानि	सहायक कलेक्टर
10	सुश्री अंजली सिंह ठाकुर	डिप्टी कलेक्टर
11	श्री सुधाकर प्रसाद तिवारी	नायब तहसीलदार
12	श्रीमती सविता पटेल	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
13	कु. नेहा जैन	नायब तहसीलदार
14	श्रीमती प्रेमलता पाल	नायब तहसीलदार
15	श्री हेमराज मेहर	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
	होशंगाबाद संभाग		43	श्री महेश सिंह सोलंकी	नायब तहसीलदार
16	श्री विजय सिंह सराटिया	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख	44	श्री विजय तलवारे	नायब तहसीलदार
	उज्जैन संभाग		रीवा संभाग		
17	श्री अभिषेक गेहलोत	डिप्टी कलेक्टर	45	श्री नीलाम्बर मिश्रा	डिप्टी कलेक्टर
	सागर संभाग		46	श्री राजीव कुमार पाण्डेय	नायब तहसीलदार
18	श्री चन्द्र प्रकाश पटेल	डिप्टी कलेक्टर	47	श्री आषीश अग्रवाल	नायब तहसीलदार
19	सुश्री सपना स्मृति खेमरिया	डिप्टी कलेक्टर	48	कु. श्रुद्धा तिवारी	नायब तहसीलदार
20	श्री रोशन राय	डिप्टी कलेक्टर	49	श्री मधुकर प्रसाद पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक
21	श्री शैवाल सिंह	नायब तहसीलदार	शहडोल संभाग		
22	श्री दिलीप कुमार चौरसिया	नायब तहसीलदार	50	श्री नीलमणि अग्निहोत्री	डिप्टी कलेक्टर
	ग्वालियर संभाग		51	श्री चन्द्रसिंह मरावी	राजस्व निरीक्षक
23	कु. शिखा पोरस	डिप्टी कलेक्टर	52	श्री हेमन्त सिंह बरकडे	राजस्व निरीक्षक
24	कु. दिव्या अवस्थी	डिप्टी कलेक्टर	53	श्री राजाराम कौल	राजस्व निरीक्षक
25	कु. नेहा शिवहरे	डिप्टी कलेक्टर	निम्नस्तर		
26	श्री दिपक कुमार अवस्थी	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख	भोपाल संभाग		
	जबलपुर संभाग		1	श्री अरविन्द कुमार गुप्ता	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
27	श्री चन्द्र प्रकाश गोहल	डिप्टी कलेक्टर	2	श्री सानत राव देशमुख	नायब तहसीलदार
28	कु. सुलेखा ठाकुर	डिप्टी कलेक्टर	3	श्रीमती रितु भार्गव	नायब तहसीलदार
29	श्री गणेश कुमार जायवाल	डिप्टी कलेक्टर	होशंगाबाद संभाग		
30	श्री नमःशिवाय अरजरिया	डिप्टी कलेक्टर	4	श्री कवीन्द्र नाथ राय	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
31	कु. रंजना पाटने	डिप्टी कलेक्टर	सागर संभाग		
32	श्री ऋषि पंवार	डिप्टी कलेक्टर	5	श्री निर्मल सिंह राठौर	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
33	श्री पंकज नयन तिवारी	नायब तहसीलदार	6	श्री परमाल सिंह कैन	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
34	श्री श्याम नन्दन चन्देले	नायब तहसीलदार	7	श्री महेन्द्र सिंह राजपूत	राजस्व निरीक्षक
35	श्री गौरव कुमार पाण्डे	नायब तहसीलदार	8	श्री चन्द्र प्रकाश गुप्ता	राजस्व निरीक्षक
36	श्रीमती रीति सोनवे नाग	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख	ग्वालियर संभाग		
37	श्री पुन्नूलाल साण्ड्या	राजस्व निरीक्षक	9	श्री मुकेश कुमार शर्मा	डिप्टी कलेक्टर
	इन्दौर संभाग		10	श्री सियाराम श्रीवास्तव	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
38	श्री शास्वत सिंह मीना	डिप्टी कलेक्टर	11	कु. स्मिता कुमारी	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
39	श्री अरविन्द चौहान	डिप्टी कलेक्टर			
40	श्री अनुकूल जैन	डिप्टी कलेक्टर			
41	श्री प्रकाश परिहार	नायब तहसीलदार			
42	श्री राकेश सस्तियां	नायब तहसीलदार			

(1)	(2)	(3)	विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 8 अगस्त 2012 को प्रश्नपत्र—सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित—केवल अधिनियम) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—		
			अनु.क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
			(1)	(2)	(3)
12	श्री ललित कुमार ग्वालवंशी	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख			
13	श्री बाबूखॉ पठान	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख			
14	श्री प्रताप सिंह पटेलिया	राजस्व निरीक्षक			
15	श्री कैलाश बाबू श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक			

जबलपुर संभाग**उच्चस्तर
भोपाल संभाग**

16	सुश्री साधना देवी सिंगराम	डिप्टी कलेक्टर			
17	श्री विवेक व्यास	नायब तहसीलदार	1	श्री जे. विजय कुमार	सहायक कलेक्टर
18	श्री सुशील कुमार पटैल	राजस्व निरीक्षक	2	श्री मोहित बुन्दस	सहायक कलेक्टर
19	श्री मनोज कुमार नामदेव	राजस्व निरीक्षक	3	श्री व्ही. एस. चौधरी कोलसानि	सहायक कलेक्टर
20	श्री श्यामलाल धानक	राजस्व निरीक्षक	4	श्री अनुग्रह पा	सहायक कलेक्टर
21	श्री सुन्दर लाल जाटव	राजस्व निरीक्षक	5	सुश्री नेहा मारव्या	सहायक कलेक्टर
22	श्री पोहप सिंह टेकाम	राजस्व निरीक्षक			
23	श्री दशमंता मरावी	राजस्व निरीक्षक			
24	श्री सुकमन सिंह कुलेस	राजस्व निरीक्षक			
25	श्री मोतीलाल डेहरिया	राजस्व निरीक्षक			
26	श्री सुखलाल डेहरिया	राजस्व निरीक्षक	6	कु. सुलेखा ठाकुर	डिप्टी कलेक्टर
27	श्री नन्दलाल मरकाम	राजस्व निरीक्षक	7	श्री गणेश कुमार जायवाल	डिप्टी कलेक्टर
28	श्री राम कुमार यादव	राजस्व निरीक्षक	8	श्री नमःशिवाय अरजरिया	डिप्टी कलेक्टर
29	श्री सहदेव सिंह मार्को	राजस्व निरीक्षक	9	सुश्री साधना देवी सिंगराम	डिप्टी कलेक्टर

जबलपुर संभाग**सागर संभाग**

30	श्रीमती मधु नायक	नायब तहसीलदार	10	सुश्री सपना स्मृति खेमरिया	डिप्टी कलेक्टर
31	श्री अखिलेश शर्मा	नायब तहसीलदार	11	श्री चन्द्र प्रकाश पटेल	डिप्टी कलेक्टर
32	श्री श्रीकान्त तिवारी	राजस्व निरीक्षक	12	श्री रोशन राय	डिप्टी कलेक्टर

इन्दौर संभाग**रीवा संभाग**

33	श्री वीरेन्द्र कुमार पटेल	राजस्व निरीक्षक	13	श्री राजीव कुमार पाण्डेय	नायब तहसीलदार
34	श्री शारदा प्रसाद सोनी	राजस्व निरीक्षक	14	कु. श्रद्धा तिवारी	नायब तहसीलदार
			15	श्री आशीष अग्रवाल	नायब तहसीलदार

शहडोल संभाग**शहडोल संभाग**

35	श्री धनकुवंर टोप्यो	राजस्व निरीक्षक			
36	श्री सुदामा प्रसाद पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक			
37	श्री मोहनलाल वर्मा	राजस्व निरीक्षक	16	श्री नीलमणि अग्निहोत्री	डिप्टी कलेक्टर
38	श्री गणेश प्रसाद बर्मन	राजस्व निरीक्षक	17	श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा	राजस्व निरीक्षक (सश्रेय)
39	श्री माधव प्रसाद मोगरे	राजस्व निरीक्षक			
40	श्री इन्द्रजीत सिंह	राजस्व निरीक्षक			

निम्नस्तर**भोपाल संभाग**

क्र. 7905-3467-अका-विपप्र-2012.—राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये

1	सुश्री रुचिका चौहान	सहायक कलेक्टर
---	---------------------	---------------

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
2	श्री विजय दत्ता बी	सहायक कलेक्टर	30	कु. स्मिता कुमारी	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
3	श्री सौरभ कुमार सुमन	सहायक कलेक्टर	31	श्री निरंजन सिंह राजपूत	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
4	श्री हरजिन्दर सिंह	सहायक कलेक्टर	32	श्री दीपक कुमार अवस्थी	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
5	कु. नेहा जैन	नायब तहसीलदार	33	कु. ज्योति ठोके	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
6	श्री सुधाकर प्रसाद तिवारी	नायब तहसीलदार	34	श्री विश्राम सिंह बघेल	राजस्व निरीक्षक
उज्जैन संभाग			35	श्री मोहम्मद रज्जाक खान	राजस्व निरीक्षक
7	श्री अभिषेक गेहलोत	डिप्टी कलेक्टर	36	श्री राम प्रकाश कनेरिया	राजस्व निरीक्षक
8	श्री श्यामेन्द्र जायसवाल	डिप्टी कलेक्टर	सागर संभाग		
इंदौर संभाग			37	श्री दिलीप कुमार चौरसिया	नायब तहसीलदार
9	श्री शास्वत सिंह मीना	डिप्टी कलेक्टर	38	श्रीमती इन्दु गौड़	राजस्व निरीक्षक
10	श्री अरविन्द चौहान	डिप्टी कलेक्टर	रीवा संभाग		
11	श्री अनुकूल जैन	डिप्टी कलेक्टर	39	श्री नीलाम्बर मिश्र	डिप्टी कलेक्टर
12	श्री प्रकाश परिहार	नायब तहसीलदार	40	श्री सुवेन्द्र सिंह	राजस्व निरीक्षक
13	श्रीमती मधु नायक	नायब तहसीलदार	41	श्री राज नारायण पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक
14	श्री राकेश सस्तियाँ	नायब तहसीलदार	42	श्री राम नरेश गौतम	राजस्व निरीक्षक
15	श्री महेश सिंह सोलंकी	नायब तहसीलदार	43	श्री इन्द्रभान सिंह	राजस्व निरीक्षक
16	श्री विजय तलवारे	नायब तहसीलदार	शहडोल संभाग		
17	श्री बाबूसिंह निनामा	राजस्व निरीक्षक	44	श्री धनकुंवर टोप्पो	राजस्व निरीक्षक
जबलपुर संभाग			45	श्री हेमन्त सिंह बरकडे	राजस्व निरीक्षक
18	श्री चन्द्र प्रकाश गोहल	डिप्टी कलेक्टर	46	श्री मनोज सिंह	राजस्व निरीक्षक
19	कु. रंजना पाटने	डिप्टी कलेक्टर	47	श्री राजेन्द्र प्रसाद माझी	राजस्व निरीक्षक
20	श्री ऋषि पंवार	डिप्टी कलेक्टर	48	श्री शिवशंकर मिश्र	राजस्व निरीक्षक
21	श्री श्याम नन्दन चन्देले	नायब तहसीलदार	49	श्री उमेश्वर सांय पैकरा	राजस्व निरीक्षक
22	श्री गौरव कुमार पाण्डे	नायब तहसीलदार	50	श्री शिव कुमार सिंह	राजस्व निरीक्षक
23	श्री पंकज नयन तिवारी	नायब तहसीलदार	51	श्री दिलीप सिंह	राजस्व निरीक्षक
24	श्रीमती रीति सोनवे नाग	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख	52	श्रीमती विमला सिंह	राजस्व निरीक्षक
25	श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक	ग्वालियर संभाग		
26	श्री राजाराम दीक्षित	राजस्व निरीक्षक	27	कु. शिखा पोरस	डिप्टी कलेक्टर
ग्वालियर संभाग			28	श्री मुकेश कुमार शर्मा	डिप्टी कलेक्टर
27	कु. शिखा पोरस	डिप्टी कलेक्टर	29	श्री ललित कुमार ग्वालवंशी	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
28	श्री मुकेश कुमार शर्मा	डिप्टी कलेक्टर	क्र. 7907-3473-वपप्र-2012.—राज्य शासन द्वारा वाणिज्यिक कर		
29	श्री ललित कुमार ग्वालवंशी	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख	विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 6 अगस्त		
			2012 को प्रश्नपत्र—विधि तथा प्रक्रिया (केवल नियमों की पुस्तकों		

सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

अनु.क्र. परीक्षार्थी का नाम पदनाम
(1) (2) (3)

(1) (2) (3)
17 श्री राजेन्द्र कुमार कुशराम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
18 श्री राजाराम अहिरवार कराधान सहायक
19 श्री नीलेश कुमार यादव कराधान सहायक

**उच्चस्तर
भोपाल संभाग**

1 श्री निर्मल कुमार परिहार वाणिज्यिक कर अधिकारी

इंदौर संभाग

2 श्री सुनील बांगर वाणिज्यिक कर अधिकारी
3 सुश्री सपना पगारे वाणिज्यिक कर अधिकारी
4 कु. वर्षा उईके सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
5 कु. ममता परिहार वाणिज्यिक कर निरीक्षक
6 श्री सतानन्द सिंह आर्मो वाणिज्यिक कर निरीक्षक
7 श्री राजेश कश्यप कराधान सहायक
8 श्रीमती ज्योति सिंह कराधान सहायक
9 श्री अजय कुमार पारस कराधान सहायक

ग्वालियर संभाग

10 कु. पिकी घंघोरिया कराधान सहायक

जबलपुर संभाग

11 श्रीमती मीनाक्षी मेरावी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
12 श्रीमती सविता पाटील वाणिज्यिक कर निरीक्षक
13 कु. बबीता सोंधीया कराधान सहायक
14 कु. नीता धुर्वे कराधान सहायक
15 श्री शिवनाथ रनपीसिया कराधान सहायक

सागर संभाग

16 श्री नरेन्द्र कुमार औरासे सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.

**निम्नस्तर
भोपाल संभाग**

1 श्री युवराज पाटीदार वाणिज्यिक कर अधिकारी
2 श्री जीवन सिंह रजक वाणिज्यिक कर अधिकारी

इंदौर संभाग

3 श्री राघवेन्द्र जायसवाल वाणिज्यिक कर अधिकारी
4 श्री गुरमीत सिंह वाधवा वाणिज्यिक कर अधिकारी
5 श्रीमती रिकी बामनिया वाणिज्यिक कर अधिकारी
6 डॉ. ऋचा नौगरईया वाणिज्यिक कर अधिकारी
7 श्री पप्पू सिंह मईड़ा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
8 श्री तरंग श्रीवास्तव वाणिज्यिक कर निरीक्षक.
9 श्रीमती विनया दीक्षित गुप्ता वाणिज्यिक कर निरीक्षक.
10 श्री रविशंकर सिंह वाणिज्यिक कर निरीक्षक.
11 श्री कैलाश नरगावें कराधान सहायक
12 कु. सुचित्रा अचाले कराधान सहायक
13 श्री इन्दर सिंह चंगोड़ कराधान सहायक
14 श्री संजीव गुजराती कराधान सहायक
15 श्री संतोष सोलंकी कराधान सहायक
16 श्री आशीष वर्मा कराधान सहायक
17 श्री दीपक अग्रवाल कराधान सहायक
18 कु. अनविक्षा परमार कराधान सहायक
19 कु. चंचल अवासिया कराधान सहायक
20 श्री विशाल ललावत कराधान सहायक
21 श्री महेन्द्र चौहान कराधान सहायक
22 कु. क्षमा अग्रवाल कराधान सहायक

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
23	कु. अंतिम दरड़ा	कराधान सहायक	57	श्रीमती रश्मि उपवंशी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक.
24	कु. सोनाली गुप्ता	कराधान सहायक	58	श्री संतोष कुमार गुप्ता	वाणिज्यिक कर निरीक्षक.
25	श्रीमती रेखा चौहान	कराधान सहायक	59	श्री नितिन तिवारी	कराधान सहायक
26	श्री सुनील भाटिया	कराधान सहायक	60	कु. उर्मिला पटेल	कराधान सहायक
27	श्री दीपराज रावत	कराधान सहायक	61	श्री शिवा गुरू	कराधान सहायक
28	कु. बबिता मरमट	कराधान सहायक	62	श्री सौरभ जैन	कराधान सहायक
29	श्री संजीव वर्मा	कराधान सहायक	63	श्री दीपक कुमार डेहरिया	कराधान सहायक
30	श्री शीतल सिंह अजनारिया	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	64	कु. पूनम गुरबानी	कराधान सहायक
31	श्री जतनसिंह निगंवाल	कराधान सहायक	65	श्रीमती सीमा श्रीवास्तव	कराधान सहायक
32	श्री मनोहर सोलंकी	कराधान सहायक	66	कु. दीपा मेहरचंदानी	कराधान सहायक
33	सुश्री रीना उइके	कराधान सहायक	67	श्री अरविन्द कुमार लोधी	कराधान सहायक
34	कु. उषा करोले	कराधान सहायक	68	श्री रजित सिंह राजपूत	कराधान सहायक
35	श्रीमती ममता काले	कराधान सहायक	69	श्री मनोज कुमार उके	कराधान सहायक
36	श्री सानू जोरम	कराधान सहायक	70	कु. ज्योति नापित	कराधान सहायक
37	कु. रागिनी अजमेरा	कराधान सहायक	71	श्री आशीष कुमार जाट	कराधान सहायक
38	कु. मीनाक्षी नागेन्द्र	कराधान सहायक	72	श्री ज्ञानचंद सल्लाम	कराधान सहायक
39	कु. वर्षा पूर्विया	कराधान सहायक	सागर संभाग		
40	श्रीमती सुषमा निगंवाल	कराधान सहायक	73	श्री राकेश कुमार शुक्ला	कराधान सहायक
41	कु. हेमलता सुनहरे	कराधान सहायक	74	डॉ. अमित कुमार तिवारी	कराधान सहायक
42	श्री अशोक घोड़ेला	कराधान सहायक	75	कु. दीपति यादव	कराधान सहायक
43	श्री मन्सूर अली	कराधान सहायक	76	कु. दीपशिखा यादव	कराधान सहायक
ग्वालियर संभाग			रीवा संभाग		
44	श्री दातार सिंह इकलोदिया	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	77	डॉ. दिलीप कुमार सिंह	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
45	कु. प्रतिभा किरण	कराधान सहायक	78	श्री शैलेन्द्र पाण्डेय	कराधान सहायक
46	श्रीमती बीनू तोमर	कराधान सहायक	79	श्रीमती पूनम तिवारी	कराधान सहायक
47	कु. चितिर्मजूषा गर्ग	कराधान सहायक	भोपाल, दिनांक 15 अक्टूबर 2012		
48	कु. नीलम करोठिया	कराधान सहायक	क्र. 7972-3449-अका-विप्र-2012.—राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 13 अगस्त 2012 को प्रश्न पत्र—लेखा द्वितीय (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—		
49	कु. दीपमाला सैनी	कराधान सहायक	अनुक्रमांक परीक्षार्थी का नाम पदनाम		
50	श्री नीलेश अग्रवाल	कराधान सहायक	(1)	(2)	(3)
51	श्री विजय श्रीवास्तव	कराधान सहायक	भोपाल संभाग		
जबलपुर संभाग			1	श्री दीपक कुमार तिरपुडे	वन क्षेत्रपाल
52	कु. ज्योत्सना ठाकुर	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी			
53	श्रीमती रंजना जैन	वाणिज्यिक कर निरीक्षक			
54	श्री राजेश यादव	वाणिज्यिक कर निरीक्षक			
55	श्री सत्यपति रावत	वाणिज्यिक कर निरीक्षक			
56	श्री रलेश प्रताप सिंह परिहार	वाणिज्यिक कर निरीक्षक			

(1)	(2)	(3)	घोषित किया जाता है :—		
			अनुक्रमांक (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
2	श्री धीरेन्द्र सिंह	वन क्षेत्रपाल			
	होशंगाबाद संभाग				
3	श्री सेवकराम मण्डलोई	वन क्षेत्रपाल			उच्चस्तर भोपाल संभाग
	जबलपुर संभाग				
4	कु. अंजना मर्सकोले	वन क्षेत्रपाल	1	श्री व्ही. एस. चौधरी कोलसानि	सहायक कलेक्टर
5	श्री यशपाल मेहरा	वन क्षेत्रपाल	2	श्री सौरभ कुमार सुमन	सहायक कलेक्टर
6	कु. सीता भलावी	वन क्षेत्रपाल	3	श्री अनुग्रह पा	सहायक कलेक्टर
7	श्री क्रांति झारिया	वन क्षेत्रपाल	4	सुश्री नेहा मारव्या	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
8	कु. प्रीति शाक्य	वन क्षेत्रपाल	5	श्री मोहित बुन्दस	सहायक कलेक्टर
9	श्री धरमसिंह सोलंकी	वन क्षेत्रपाल	6	श्री विजय दत्ता बी.	सहायक कलेक्टर
10	श्री सुनील कुमार पन्द्रे	वन क्षेत्रपाल	7	सुश्री रूचिका चौहान	सहायक कलेक्टर
11	श्री विजयेन्द्र सिंह जावरिया	वन क्षेत्रपाल	8	श्री जे. विजय कुमार	सहायक कलेक्टर
12	श्री गुलाबसिंह निगंवाल	वन क्षेत्रपाल			उच्चस्तर भोपाल संभाग
13	श्री संदीप रावत	वन क्षेत्रपाल			
	ग्वालियर संभाग				
14	श्री देवेन्द्र कुमार अहिरवार	वन क्षेत्रपाल			उच्चस्तर भोपाल संभाग
	सागर संभाग				
15	श्री माधोराव उईके	वन क्षेत्रपाल	9	श्री अभिषेक गेहलोत	डिप्टी कलेक्टर
16	श्री दिनेश मौर्य	वन क्षेत्रपाल			जबलपुर संभाग
	इंदौर संभाग				
17	श्री बिसेन सिंह मौर्य	वन क्षेत्रपाल	10	श्री चन्द्र प्रताप गेहलोत	डिप्टी कलेक्टर
18	श्री गुमान सिंह नर्गेश	वन क्षेत्रपाल	11	कु. सुलेखा ठाकुर	डिप्टी कलेक्टर
19	श्री राजेन्द्र कुमार सोलंकी	वन क्षेत्रपाल	12	श्री गणेश कुमार जायसवाल	डिप्टी कलेक्टर
20	कु. संगीता रावत	वन क्षेत्रपाल	13	कु. साधना सिंह सिंगराम	डिप्टी कलेक्टर
	रीवा संभाग		14	श्री ऋषि पंवार	डिप्टी कलेक्टर
21	श्री रामेश्वर उईके	वन क्षेत्रपाल	15	श्री नमः शिवाय अरजरिया	डिप्टी कलेक्टर
22	श्री अम्बिका प्रसाद मेरावी	वन क्षेत्रपाल	16	श्री वीरसिंह चौहान	डिप्टी कलेक्टर
			17	कु. रंजना पाटने	डिप्टी कलेक्टर
			18	श्रीमती रीति सोनवे नाग	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
			19	श्री पुनूलाल साण्ड्या	राजस्व निरीक्षक
			20	श्री राजकुमार उईके	राजस्व निरीक्षक
					इंदौर संभाग
			21	श्री अरविन्द चौहान	डिप्टी कलेक्टर
			22	श्री अनुकूल जैन	डिप्टी कलेक्टर
			23	श्री शाश्वत सिंह मीना	डिप्टी कलेक्टर
			24	श्री अखिलेश शर्मा	नायब तहसीलदार
			25	श्री राकेश सस्तियाँ	नायब तहसीलदार
			26	श्री महेश सिंह सोलंकी	नायब तहसीलदार
			27	श्री लोकेश आहुजा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
			28	कु. रश्मी गवली	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
			29	श्री राजेन्द्र सिंह चौहान	राजस्व निरीक्षक
			30	श्री देवराज निहरता	राजस्व निरीक्षक
			31	श्री श्रीकान्त सारोलकर	राजस्व निरीक्षक

क्र. 7974-3468-अका-विपप्र-2012.—राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 6 अगस्त 2012 को प्रश्नपत्र —दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया प्रथम (पुस्तकों सहित—केवल अधिनियम) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
सागर संभाग			19	श्री राजाराम दीक्षित	राजस्व निरीक्षक
32	कु. सपना स्मृति खेमरिया	डिप्टी कलेक्टर	20	श्री लोकमन कोरी	राजस्व निरीक्षक
33	श्री रोशन राय	डिप्टी कलेक्टर	21	श्री मनोज कुमार नामदेव	राजस्व निरीक्षक
34	श्री चन्द्र प्रकाश पटेल	डिप्टी कलेक्टर	22	श्री आलोक कुमार सोनी	राजस्व निरीक्षक
35	डॉ. राकेश कुमार अहिरवार	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख	23	श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी	राजस्व निरीक्षक
36	श्री श्रीपत अहिरवार	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख	24	श्री दामोदर प्रसाद दुबे	राजस्व निरीक्षक
शहडोल संभाग			25	श्री राजेश कुमार दुबे	राजस्व निरीक्षक
37	श्री नीलमणि अग्निहोत्री	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)	26	श्री रामसेवक कौल	राजस्व निरीक्षक
रीवा संभाग			27	श्री सुन्दर लाल यादव	राजस्व निरीक्षक
38	श्री नीलाम्बर मिश्र	डिप्टी कलेक्टर	28	श्री रधवा कौल	राजस्व निरीक्षक
निम्नस्तर भोपाल संभाग			29	श्री तेजीलाल उईके	राजस्व निरीक्षक
1	श्री हरजिन्दर सिंह	सहायक कलेक्टर	30	श्री गोपीचन्द्र पंवार	राजस्व निरीक्षक
2	सुश्री अंजली सिंह ठाकुर	डिप्टी कलेक्टर	31	श्री रविशंकर धुर्वे	राजस्व निरीक्षक
3	श्रीमती रितु भार्गव	नायब तहसीलदार	32	श्री केशरी चंद बघेल	राजस्व निरीक्षक
4	श्री सानत राव देशमुख	नायब तहसीलदार	33	श्री दशमंता मरावी	राजस्व निरीक्षक
5	श्रीमती सविता पटेल	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख	34	श्री लोकमन तिवारी	राजस्व निरीक्षक
6	श्री अरविन्द कुमार गुप्ता	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख	35	श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक
7	श्री भैयालाल भील	राजस्व निरीक्षक	36	श्री सुकमन सिंह कुलेश	राजस्व निरीक्षक
8	श्री थानसिंह गौड़	राजस्व निरीक्षक	37	श्री रतनशाह उईके	राजस्व निरीक्षक
9	श्री शरीफ अहमद	राजस्व निरीक्षक	38	श्री अनूप कुमार चौरसिया	राजस्व निरीक्षक
10	श्री योगेश्वर सिंह भारतीय	राजस्व निरीक्षक	39	श्री धर्मराज तुरकर	राजस्व निरीक्षक
11	श्री रणधीर सिंह मीना	राजस्व निरीक्षक	40	श्री नन्दलाल मरकाम	राजस्व निरीक्षक
12	श्री मोतीलाल पंथी	राजस्व निरीक्षक	41	श्री रामकुमार यादव	राजस्व निरीक्षक
होशंगाबाद संभाग			42	श्री अवध बिहारी खरे	राजस्व निरीक्षक
13	श्री संतोष पथोरिया	राजस्व निरीक्षक	43	श्री देवेन्द्र कुमार सिंगारे	राजस्व निरीक्षक
उज्जैन संभाग			44	श्री जगदीश प्रसाद सिंगौर	राजस्व निरीक्षक
14	श्री जगत सिंह ठाकुर	राजस्व निरीक्षक	45	श्री अनिल कुमार मिश्रा	राजस्व निरीक्षक
जबलपुर संभाग			46	श्री चन्द्रभान सिंह परस्ते	राजस्व निरीक्षक
15	श्री श्याम नन्दन चन्देल	नायब तहसीलदार	47	श्री मनीराम आमों	राजस्व निरीक्षक
16	श्री गौरव कुमार पाण्डेय	नायब तहसीलदार	48	श्री मोतीलाल डेहरिया	राजस्व निरीक्षक
17	श्री पंकज नयन तिवारी	नायब तहसीलदार	49	श्री रेवाराम झारिया	राजस्व निरीक्षक
18	श्री चन्द्रभान दीवान	राजस्व निरीक्षक	50	श्री राम प्रसाद मार्को	राजस्व निरीक्षक
इंदौर संभाग			51	श्रीमती मधु नायक	नायब तहसीलदार
15	श्री श्याम नन्दन चन्देल	नायब तहसीलदार	52	श्री प्रकाश परिहार	नायब तहसीलदार
16	श्री गौरव कुमार पाण्डेय	नायब तहसीलदार	53	श्री विजय तलवारे	नायब तहसीलदार
17	श्री पंकज नयन तिवारी	नायब तहसीलदार	54	श्री मुकेश मालवीय	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
18	श्री चन्द्रभान दीवान	राजस्व निरीक्षक			

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
55	कु. श्वेता जमरा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख	78	श्री शशिकान्त गुप्ता	राजस्व निरीक्षक
56	श्री राधेश्याम धाकड़	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख	79	श्री रामदिन सेमिल	राजस्व निरीक्षक
57	श्री आर. सी. मण्डलोई	अधीक्षक	80	श्री राकेश कुमार वर्मा	राजस्व निरीक्षक
58	श्री प्रदीप शिंगुल	राजस्व निरीक्षक	81	श्रीमती नीरज मिश्रा	राजस्व निरीक्षक
59	श्री राजकुमार खरे	राजस्व निरीक्षक	82	श्री अनिल कुमार स्वर्णकार	राजस्व निरीक्षक
60	श्री श्रीकान्त तिवारी	राजस्व निरीक्षक	83	श्री संजीव कुमार तिवारी	राजस्व निरीक्षक
61	श्री रामदेव नैय्यर	राजस्व निरीक्षक	84	श्रीमती सरिता भदौरिया	राजस्व निरीक्षक
62	श्री बाबूसिंह निनामा	राजस्व निरीक्षक	85	श्री दिनेश कुमार यादव	राजस्व निरीक्षक
			86	श्री प्रदीप नारायण सिंह सिकरवार	राजस्व निरीक्षक

शहडोल संभाग

सागर संभाग

63	सुश्री वर्षा शर्मा	सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख
64	श्री परमाल सिंह कैन	सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख
65	श्री प्रेम प्रकाश गोस्वामी	सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख
66	श्री रज्जन सिंह	राजस्व निरीक्षक

ग्वालियर संभाग

67	कु. शिखा पोरस	डिप्टी कलेक्टर
68	कु. नेहा शिवहरे	डिप्टी कलेक्टर
69	कु. दिव्या अवस्थी	डिप्टी कलेक्टर
70	कु. पूनम सिंह	सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख
71	कु. ज्योति ठोके	सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख
72	श्री विवेक कुमार शर्मा	सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख
73	श्री निरंजन सिंह राजपूत	सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख
74	श्री संजय चौरसिया	सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख
75	श्री दीपक कुमार अवस्थी	सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख
76	श्री अभिषेक गुप्ता	सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख
77	श्री विश्राम सिंह बघेल	सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख

87	श्री के. एम. चौधरी	अधीक्षक
88	श्री चन्द्रसिंह मरावी	राजस्व निरीक्षक
89	श्री दिनेश कुमार पनिका	राजस्व निरीक्षक
90	श्री लालमणि प्रजापति	राजस्व निरीक्षक
91	श्री कन्हैयालाल टेकाम	राजस्व निरीक्षक
92	श्री मनोज सिंह	राजस्व निरीक्षक
93	श्री राजाराम कौल	राजस्व निरीक्षक
94	श्री राजेन्द्र प्रसाद मांझी	राजस्व निरीक्षक
95	श्री लक्ष्मीकांत शर्मा	राजस्व निरीक्षक
96	श्री दिनेश तिवारी	राजस्व निरीक्षक
97	श्री विनोद सिंह	राजस्व निरीक्षक
98	श्री द्वारका प्रसाद दहायत	राजस्व निरीक्षक
99	श्री उपेन्द्र कुमार द्विवेदी	राजस्व निरीक्षक
100	श्री विश्वम्भर सिंह मरावी	राजस्व निरीक्षक
101	श्री ललित कुमार धार्वे	राजस्व निरीक्षक
102	श्री गंगाराम पनिका	राजस्व निरीक्षक

रीवा संभाग

103	श्री राजीव कुमार पाण्डेय	नायब तहसीलदार
104	श्री आशीष अग्रवाल	नायब तहसीलदार
105	श्री वीरेन्द्र कुमार पटेल	नायब तहसीलदार
106	श्री ललन सिंह	राजस्व निरीक्षक
107	श्री तेजपति सिंह	राजस्व निरीक्षक
108	श्री रामनेश गौतम	राजस्व निरीक्षक
109	श्री सुवेन्द्र सिंह	राजस्व निरीक्षक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपा पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

राज्य शासन के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 22 सितम्बर 2012

प्र. क्र. 43-अ-82-2011-12-क्र. 1619-भू-अर्जन-नहर-2012-.-—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अन्तर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	अन्जड़	साकड़	4.512	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला बड़वानी,	इन्दिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की बड़दा वितरण शाखा एवं उसकी माईनर, सब-माईनर एवं टेल माईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.—(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर कार्यालय, बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 28 सितम्बर 2012

प्र. क्र. 44-अ-82-2011-12-क्र. 1670-भू-अर्जन-नहर-2012-.-—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अन्तर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	अन्जड़	झोलपीपरी	1.382	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11 बड़वानी, जिला बड़वानी,	इन्दिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की तलुन वितरण शाखा की झोलपीपरी माईनर की सब-माईनर एवं टेल माईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.—(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर कार्यालय, बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला बड़वानी, के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।

बड़वानी, दिनांक 29 सितम्बर 2012

प्र. क्र. 42-अ-82-2011-12 क्र. 1688-भू-अर्जन-2012-.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	वरला	हिंगवा	58.775	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी.	टोरी तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.
			योग . . 58.775		

नोट.—(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, कार्यालय, जिला बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंधवा, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, उप संभाग सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2012

प्र. क्र. 33-अ-82 वर्ष 2011-12-गाडरवारा-पत्र क्र.-62-भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में.)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	लाखा	0.421	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, नरसिंहपुर.	सड़क निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, गाडरवारा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 34-अ-82 वर्ष 2011-12-गाडरवारा-पत्र क्र.-62-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	नयागांव	0.320	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग नरसिंहपुर.	सड़क निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, गाडरवारा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 35-अ-82 वर्ष 2011-12-गाडरवारा-पत्र क्र.-62-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	रहली	0.773	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग नरसिंहपुर.	सड़क निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, गाडरवारा में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 29 सितम्बर 2012

प्र. क्र. 13-अ-82-2011-12 क्र. 846-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
देवास	टोंकखुर्द	भौरासा	1.008	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग देवास.	भौरासा नाबार्ड सड़क भौरासा के अन्तर्गत सड़क निर्माण हेतु तहसील टोंकखुर्द ग्राम भौरासा की निजी भूमि रकबा 1.008 हे. अर्जित की जाने संबंधी.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास एवं कार्यालय, भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, सोनकच्छ में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 3 अक्टूबर 2012

भू-अर्जन-प्र. क्र. 36-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	करोली	0.135	संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम लि. इन्दौर.	मूंदी-सुलगांव-सनावद मार्ग पर प्रस्तावित पुनासा बायपास निर्माण हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि. इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 11 अक्टूबर 2012

प्र. क्र. 2-अ 82-2012-2013—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
विदिशा	शमशाबाद	1. घाटखेड़ी	23.500	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर बाह परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा.	संजय सागर (बाह) मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.
		2. रगरू	2.000		
		3. भिंयाखेड़ी	35.500		
		4. दुनातर	1.900		
		5. बरोदिया	39.500		
योग . .			102.400		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—संजय सागर (बाह) मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, विदिशा/भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, नटेरन के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 11 अक्टूबर 2012

क्र. 3076-भू-अर्जन-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन

यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का विवरण		धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	दादर	0.784	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग-रीवा (म. प्र.).	नौबस्ता वितरक नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3078-भू-अर्जन-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का विवरण		धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	सुमेदा	0.300	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग-रीवा (म. प्र.).	सुमेदा माइनर नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 12 अक्टूबर 2012

क्र. 8642-प्र.भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना

दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का विवरण		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
(1)	(2)	(3)	कुल खसरा नं. (4)	(5)	(6)	(7)
सागर	सागर	तोड़ा तरफदार	48	31.965	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर (म.प्र.).	तोड़ा जलाशय के शीर्ष कार्य के निर्माण में प्रभावित भूमि के भू-अर्जन बावत्.

(2) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—तोड़ा जलाशय के शीर्ष कार्य के निर्माण में प्रभावित भूमि के भू-अर्जन बावत्.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 12 अक्टूबर 2012

क्र. 1066-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र. 19-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	भीकनगांव	सगुर	5.040	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन.	खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेवेट्री मेन-1 हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1065-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र. 20-अ-82-2012-13.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	भीकनगांव	खुड़गांव	5.129	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन.	खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेवेट्री मेन-1,2 हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1064-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र. 21-अ-82-2012-13.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्तधारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	भीकनगांव	छिर्वा	116.668	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन.	खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य बी.आर.(1)-आर.एम. (1) हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 15 अक्टूबर 2012

क्र. भूमि संपादन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसमें सम्बद्ध लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	निजी भूमि क्षेत्रफल/रकबा (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	नागदा	ग्राम रूपाखेड़ी	0.61 एवं मकान 17571 वर्गफीट	भू-अर्जन अधिकारी, नागदा	गंभीर पूल पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.
		कुल	0.61 एवं मकान 17571 वर्गफीट		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, नागदा में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 8 अक्टूबर 2012

प्र. क्र. 79-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	टप्पा घाटीगांव	पार	0.303 योग : 0.303	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्र. 1 डबरा जिला ग्वालियर.	सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की शाखा एवं उपशाखा के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

ग्वालियर, दिनांक 18 अक्टूबर 2012

प्र. क्र. 104-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	उदयपुरा	5.72	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्र. 2, ग्वालियर.	सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की बेरजा शाखा नहर के निर्माण हेतु.
			योग : 5.72		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 105-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	सुनारपुरा	5.75	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्र. 2, ग्वालियर.	सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की बेरजा शाखा नहर के निर्माण हेतु.
			योग : 5.75		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 106-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके

द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	गणेशपुरा	1.733 योग : 1.733	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्र. 2 ग्वालियर.	सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की बेरजा शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 107-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	बनारपुरा	2.12 योग : 2.12	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्र. 2 ग्वालियर.	सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की बेरजा शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 108-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	राई	7.726 योग : 7.726	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्र. 2 ग्वालियर.	सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की बेरजा शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 109-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	रतवाई	13.677	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्र. 2 ग्वालियर.	सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की बेरजा शाखा नहर के निर्माण हेतु.
			योग : 13.677		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 110-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	बेरजा	2.505	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्र. 2 ग्वालियर.	सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की बेरजा शाखा नहर के निर्माण हेतु.
			योग : 2.505		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 111-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी

को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	खेरीयामोदी	1.932 योग : <u>1.932</u>	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्र. 2 ग्वालियर.	सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की बेरजा शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 112-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	करगंवा	0.756 योग : <u>0.756</u>	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्र. 2 ग्वालियर.	सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की बेरजा शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 113-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	धनेली	4.015 योग : <u>4.015</u>	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्र. 2 ग्वालियर.	सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की बेरजा शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 29 सितम्बर 2012

प्र.क्र. 18-अ-82-2011-12 क्र. 1690-भू-अर्जन-नहर-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—अंजड़
(ग) ग्राम—सजवाय
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.807 हेक्टर.

खसरा नंबर अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल
(हेक्टर में)

(1)	(2)
23/1 पैक	0.154
45/1/1 पैक	0.040
45/1/2 पैक	0.064
47 पैक	0.316
48 पैक	0.308
51,52/2 पैक	0.040
159/1 पैक	0.040
159/2 पैक	0.142
160, 161 पैक	0.902
194 पैक	0.020
196/5 पैक	0.061
196/9 पैक	0.096
196/10 पैक	0.429
201 पैक	0.360
202/2, 203 पैक	0.357
202/5 पैक	0.024
222 पैक	0.316
223 पैक	0.138
योग . .	3.807

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की बड़दा वितरण शाखा, उसकी माईनर, सबमाईनर एवं टेल माईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन कार्यालय कलेक्टर जिला बड़वानी, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर) बड़वानी एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

होशंगाबाद, दिनांक 6 अक्टूबर 2012

क्र. 13968-भू-अर्जन-सामान्य-2012-सात-सा.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—होशंगाबाद
(ख) तहसील—पिपरिया
(ग) ग्राम—सिवनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.170 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
134/1	0.069
138 में से	0.101
योग . .	0.170

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—सिवनी सब माईनर-1, ग्राम सिवनी के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, होशंगाबाद के कार्यालय में किया जा सकता है. प्रस्तावित भूमि के मामले हेतु बजट में प्रावधान है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	(1)	(2)	(3)
	4309	0.282	0.046
ग्वालियर, दिनांक 28 सितम्बर 2012	4308	0.282	0.033
	4306	0.700	0.112
प्र. क्र. 53-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	4305 मिन	0.627	0.132
	4305 मिन	0.052	
	4304	0.199	0.040
	4301	1.339	0.132
	4293	0.293	0.033
	4292	0.188	0.073
			योग : 2.849
अनुसूची	3540	0.23	0.022
(1) भूमि का वर्णन—	3541	0.564	0.080
(क) जिला—ग्वालियर	3542	1.703	0.080
(ख) तहसील—चीनोर	3841	0.564	0.080
(ग) ग्राम—करहिया	3554	1.432	0.182
(घ) लगभग क्षेत्रफल—21.087 हेक्टर.	3552	0.826	0.073
	3573	0.245	0.080
सर्वे नं.	3572	0.199	0.036
कुल रकबा (हेक्टेयर में)	3571	0.303	0.044
	3574	0.428	0.029
(1)	3575	0.742	0.088
3520	3604	2.738	0.088
3538	3765	2.738	0.182
3539	3764	1.118	0.065
3852	3763	0.878	0.109
3856	3762	0.878	0.109
3857	3700	0.533	0.080
3858	3706	0.345	0.044
4233	3705	0.042	0.014
4234	3714	0.732	0.088
4229	3716	0.982	0.088
4228	3717	0.752	0.051
4224	3715	1.62	0.058
4223	3719	1.369	0.088
4219	3603	0.815	0.022
4220	3855	0.272	0.036
4210	3856	0.219	0.030
4214	3861	0.460	0.344
4213	3860	0.366	0.018
4255	3863	0.773	0.048
4256	4071 मिन	0.597	0.102
4257	4071 मिन	0.500	
4258	4072	0.428	0.066

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
4027	0.627	0.045	1688	0.261	0.043
4074	0.136	0.008	2687	0.209	0.021
4026	0.376	0.072	2685	0.178	0.014
4025	0.376	0.042	2686	0.23	0.014
4024	0.094	0.030	2690 मिन	0.669	
4021 मिन	0.658		2690 मिन	1.066	0.163
4021 मिन	0.627	0.072	2690 मिन	1.066	
4020 मिन	0.51		2782	0.136	0.042
4020 मिन	0.51		2781	0.209	0.128
4020 मिन	0.51	0.036	2780 मिन	0.209	0.099
4020 मिन	0.51		2780 मिन	0.310	
4020 मिन	0.51		2779	0.314	0.113
4020 मिन	0.658		2775	0.136	0.021
4123 मिन	0.428		2777	0.136	0.078
4123 मिन	0.22	0.036	2778	0.157	0.010
4018	0.324	0.079	2790 मिन	0.314	0.057
4013	0.021	0.008	2790 मिन	0.146	
4017	0.293	0.012	2791	0.575	0.123
4016	0.125	0.024	2800	0.428	0.149
4015	0.157	0.036	2804 मिन	0.753	
1652	0.314	0.048	2804 मिन	0.752	0.128
1621 मिन	0.073		2805	0.094	0.026
1621 मिन	0.78	0.012	2813	0.418	0.050
1621 मिन	0.277		2338	1.045	0.057
1658	0.732	0.066	2814	0.261	0.050
1657	0.533	0.010	2335	0.282	0.057
1777	0.742	0.012	2337	0.355	0.106
1660	0.647	0.079	2331	0.272	0.078
1772	0.47	0.060	2238	0.052	0.014
1770	0.512	0.048	2332	1.576	0.184
1769	0.428	0.036	2330	0.084	0.021
1707	0.167	0.043	2223 मिन	1.617	
1706 मिन	0.084	0.008	2223 मिन	1.617	0.035
1706 मिन	0.084		2223 मिन	1.616	
1711 मिन	0.444		2239	0.418	0.057
1711 मिन	0.444	0.120	2236	0.052	0.042
1708	0.136	0.008	2235	0.105	0.035
1713	0.585	0.024	2234	0.251	0.071
1715	0.795	0.084	2225	0.167	0.064
1687	0.344	0.048	2224 मिन	0.12	
1683	0.293	0.043	2224 मिन	0.125	0.035
1681	0.125	0.018	2227	0.575	0.099
1682	0.241	0.024	2095	0.314	0.116
			2097	0.188	0.071

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
2087	0.261	0.042	511	1.578	0.285
2086	0.167	0.035	512	0.334	0.005
2085	0.110	0.042	509	0.867	0.006
2084	0.105	0.050	510	0.836	0.223
2083	0.125	0.014	542	1.254	0.314
2030	0.648	0.120	543	0.052	0.052
2026	0.397	0.028	544	0.555	0.099
2025	0.397	0.106	225	0.314	0.005
2024	0.471	0.106	220	1.379	0.014
2006	0.167	0.078	222	1.264	0.022
2019	0.094	0.010	223	1.045	0.128
2017	0.700	0.170	215	0.658	0.030
2111	0.575	0.120	210	1.727	0.079
1471	0.878	0.256	211	0.836	0.214
1472 मिन	1.164		206	1.348	0.004
1472 मिन	0.836		250	0.857	0.116
1472 मिन	1.0		248	0.491	0.040
1472 मिन	1.0		249	0.512	0.075
1472 मिन	1.0	0.119	260	0.481	0.093
1472 मिन	1.0		261	0.585	0.075
1472 मिन	1.0		259	0.533	0.075
1472 मिन	0.485		270	2.404	0.175
1446	0.418	0.074	277	0.428	0.094
1445	0.282	0.010	276	0.366	0.082
192	2.299	0.279	274	0.679	0.064
193	0.815	0.07	459	0.428	0.076
228	0.502	0.212	444	0.470	0.088
227	0.930	0.223	445	0.742	0.135
226	0.930	0.332	446	0.423	0.106
230	2.508	0.414	448	1.797	0.165
237	0.742	0.013	449	0.492	0.029
238	0.732	0.209	450	1.329	0.111
239	0.700	0.032	430	1.77	0.111
244	0.784	0.165	563	0.596	0.111
243	0.533	0.242	564	0.449	0.035
241	1.244	0.022	565	0.366	0.061
265	1.118	0.066	567	0.763	0.106
479	0.230	0.120	568	0.418	0.076
478	0.314	0.134	424	0.146	0.047
482	0.502	0.157	425	0.533	0.047
483	0.084	0.062	426	0.345	0.018
487	0.199	0.132	570	0.261	0.032
488	1.306	0.194	571	0.595	0.003
506	0.512	0.066	572	0.857	0.008

(1)	(2)	(3)	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.
573	1.108	0.015	
604	0.241	0.073	
605	0.236	0.059	(4) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण कार्य हेतु.
607	0.439	0.001	
602	2.100	0.224	
603	1.818	0.016	
650	1.296	0.182	(5) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाधीश जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.
651	0.418	0.064	
652	0.418	0.126	
653	1.118	0.018	
661	0.575	0.070	
169	0.542	0.272	प्र. क्र. 67-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—
168	0.711	0.137	
142	2.153	0.169	
143	0.223	0.086	
135	0.487	0.064	
134	0.366	0.064	
145	1.075	0.076	
102	0.554	0.032	
132	0.324	0.045	
103	0.303	0.072	
104	0.272	0.075	
105	0.146	0.023	
107	0.376	0.095	
108	0.355	0.077	
76	0.637	0.003	
114	2.434	0.156	
323	0.157	0.054	
324	0.178	0.065	
317	0.324	0.065	
327	2.881	0.281	
315	0.073	0.012	
313	0.272	0.072	
318	0.282	0.042	
319	0.209	0.054	
1622	0.565	0.014	
314	0.209	0.021	
381	0.261	0.081	
2788	0.46	0.027	
264	0.282	0.027	
254	25.447	0.556	
		<u>योग : 21.087</u>	
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु.			
			अनुसूची
			(1) भूमि का वर्णन—
			(क) जिला—ग्वालियर
			(ख) तहसील—चीनोर
			(ग) ग्राम—ककरधा
			(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.693 हेक्टर.
			सर्वे नं.
			कुल रकबा (हेक्टेयर में)
			अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)
			(1) (2) (3)
			561 1.040 0.164
			562 0.720 0.125
			563 3.000 0.290
			535 0.220 0.120
			533 1.900 0.180
			524 0.600 0.075
			525 0.800 0.065
			526 0.990 0.100
			521 0.760 0.096
			523 0.580 0.010
			513 0.730 0.058
			586 1.950 0.267
			491 0.640 0.080
			587 0.850 0.064
			588 0.740 0.168
			589 1.650 0.011

(1)	(2)	(3)	(5) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाधीश जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.																																																					
618	0.470	0.010	<p>प्र. क्र.-68-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—</p> <p style="text-align: center;">अनुसूची</p> <p>(1) भूमि का वर्णन—</p> <p>(क) जिला—ग्वालियर (ख) तहसील—भितरवार (ग) ग्राम—रूअर (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.125 हेक्टर.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>सर्वे नं.</th> <th>कुल रकबा (हेक्टेयर में)</th> <th>अवाप्त किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)</th> </tr> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17/1</td> <td>1.254</td> <td rowspan="10">0.551</td> </tr> <tr> <td>17/2</td> <td>1.045</td> </tr> <tr> <td>17/3</td> <td>1.045</td> </tr> <tr> <td>17/4</td> <td>1.672</td> </tr> <tr> <td>17/4 5 मिन</td> <td>1.672</td> </tr> <tr> <td>17/4 मिन 2</td> <td>1.672</td> </tr> <tr> <td>17/4 मिन</td> <td>0.836</td> </tr> <tr> <td>17/4 मिन</td> <td>0.836</td> </tr> <tr> <td>49/1</td> <td>1.359</td> </tr> <tr> <td>49/2</td> <td>1.202</td> </tr> <tr> <td>49/3</td> <td>1.045</td> <td>0.202</td> </tr> <tr> <td>49/4</td> <td>3.449</td> <td rowspan="3">0.110</td> </tr> <tr> <td>50/1</td> <td>0.125</td> </tr> <tr> <td>50/2</td> <td>0.491</td> </tr> <tr> <td>51</td> <td>0.105</td> <td>0.018</td> </tr> <tr> <td>59/1</td> <td>0.303</td> <td>0.122</td> </tr> <tr> <td>59/2</td> <td>0.293</td> <td rowspan="3">0.122</td> </tr> <tr> <td>60/1</td> <td>1.505</td> </tr> <tr> <td>60/2 मि.</td> <td>1.515</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">योग : 1.125</td> </tr> </tbody> </table>	सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अवाप्त किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)	(1)	(2)	(3)	17/1	1.254	0.551	17/2	1.045	17/3	1.045	17/4	1.672	17/4 5 मिन	1.672	17/4 मिन 2	1.672	17/4 मिन	0.836	17/4 मिन	0.836	49/1	1.359	49/2	1.202	49/3	1.045	0.202	49/4	3.449	0.110	50/1	0.125	50/2	0.491	51	0.105	0.018	59/1	0.303	0.122	59/2	0.293	0.122	60/1	1.505	60/2 मि.	1.515	योग : 1.125		
सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अवाप्त किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)																																																						
(1)	(2)	(3)																																																						
17/1	1.254	0.551																																																						
17/2	1.045																																																							
17/3	1.045																																																							
17/4	1.672																																																							
17/4 5 मिन	1.672																																																							
17/4 मिन 2	1.672																																																							
17/4 मिन	0.836																																																							
17/4 मिन	0.836																																																							
49/1	1.359																																																							
49/2	1.202																																																							
49/3	1.045	0.202																																																						
49/4	3.449	0.110																																																						
50/1	0.125																																																							
50/2	0.491																																																							
51	0.105	0.018																																																						
59/1	0.303	0.122																																																						
59/2	0.293	0.122																																																						
60/1	1.505																																																							
60/2 मि.	1.515																																																							
योग : 1.125																																																								
619	0.250	0.068																																																						
620	1.490	0.168																																																						
624	0.380	0.010																																																						
625	0.380	0.051																																																						
626	0.070	0.036																																																						
629	0.350	0.010																																																						
630	0.370	0.081																																																						
674	0.910	0.123																																																						
680	0.120	0.060																																																						
682/1	0.290	0.160																																																						
682/2	0.290																																																							
487/1	0.450	0.108																																																						
487/2	0.420																																																							
489	0.580	0.088																																																						
477	0.290	0.041																																																						
477/858	0.210	0.036																																																						
476	0.290	0.067																																																						
477/861	0.010	0.01																																																						
475	0.010	0.010																																																						
479	0.840	0.081																																																						
480	0.230	0.033																																																						
440	1.010	0.080																																																						
441	0.560	0.076																																																						
442	2.270	0.048																																																						
452	0.520	0.110																																																						
453	0.070	0.010																																																						
427	0.650	0.024																																																						
428	0.500	0.064																																																						
428/844	0.040	0.020																																																						
438	1.040	0.041																																																						
439	0.410	0.072																																																						
379	0.510	0.024																																																						
		योग : 3.693																																																						
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर की शाखा डी-2 एवं उसकी मायनर 2 आर के निर्माण हेतु.																																																								
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.																																																								
(4) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर शाखा डी-2 एवं माइनर 2 आर./डी.2 के निर्माण कार्य हेतु.																																																								
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर की शाखा एवं उप शाखा नहर के निर्माण हेतु.																																																								

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु।
- (5) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाधीश जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है।

ग्वालियर, दिनांक 8 अक्टूबर 2012

प्र. क्र.-74-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—चीनौर
(ग) ग्राम—बनवार-III
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.793 हेक्टर.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अवाप्त किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
1954 मि. 1	0.620	0.102
1954 मि. 2	0.812	
1955 मि. 1	0.366	0.089
1955 मि. 2	0.439	
1956 मि. 1	0.150	
1956 मि. 2	1.500	
1956 मि. 3	1.887	0.417
1956 मि. 4	0.549	
1956 मि. 5	0.063	0.185
1961 मि. 1	0.627	
1961/3	0.983	
1961/2	1.000	
1961/4	1.045	
1961/6	1.000	
1961/7	1.001	
1961/5	0.365	
1961/8	0.836	

कुल योग : 0.793

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की एम-16 उपशाखा बनवार-III के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर की एम-16 उपशाखा बनवार-III के निर्माण कार्य हेतु।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 14 अगस्त 2012

प्र. क्र. 14-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—शमशाबाद
(ग) ग्राम—बरोदा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.338 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
178/2/ख	0.105
194/1/2 क	0.118
178/2/2 ग	0.103
194/1/3	0.118
178/2/2 घ	0.104

(1)	(2)
194/1/4 क	0.118
178/2/2 ढ	0.103
178/2/2 च	0.097
194/2/2	0.236
194/2/3	0.236
योग . .	1.338

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—संजय सागर बाह परियोजना (डूब क्षेत्र) हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन/शमशाबाद/गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंज बासौदा में किया जा सकता है.

विदिशा, दिनांक 11 अक्टूबर 2012

प्र. क्र. 16-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—शमशाबाद
(ग) ग्राम—खुशालपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.973 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में.)
(1)	(2)
28/4/3	2.700
28/5/3	2.300
28/6/3	2.814
28/6/2	0.070
28/6/1	0.050
26	0.350
29	0.609
4	0.080
योग . .	8.973

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—संजय सागर बाह परियोजना (डूब क्षेत्र) हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन/शमशाबाद/गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंज बासौदा में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनंद कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गुना, दिनांक 12 अक्टूबर 2012

प्र. क्र. 16-अ-82-2011-12-डुंगासरा-743.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—गुना
(ख) तहसील—गुना
(ग) नगर/ग्राम—डुंगासरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—63.605 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
92/1 में से	0.184
92/2 में से	0.126
93 में से	0.824
94 में से	0.878
95 में से	0.209
96/1 में से	0.178
98/1 में से	0.267

(1)	(2)	(1)	(2)
98/2 में से	0.267	108/8/2	0.836
99/6 में से	0.324	108/9	2.090
99/7 में से	0.786	108/10/1	0.300
99/8/1	0.836	108/10/2 में से	0.711
99/8/2	0.836	108/13 में से	0.637
99/9/1	0.836	108/14/1	1.254
99/9/2	0.836	108/14/2	1.254
99/10/1	1.526	108/14/3	0.627
99/10/2	0.418	108/15	2.675
99/11 में से	0.366	108/16 क 1	0.631
99/12 में से	0.596	108/16 क 2	0.300
99/13 में से	0.418	108/16 क 3	0.836
99/14 में से	0.325	108/16 क 4	0.300
99/15 मिन में से	0.198	108/16 ख	1.568
99/15 मिन	0.690	108/16 ग 1	1.000
99/16 में से	0.596	108/17	2.090
99/17 में से	0.053	108/18/1 में से	0.203
99/18 में से	0.042	108/18/2	0.581
99/19 में से	0.010	108/18 मिन	1.743
101/2 में से	0.397	120/4/2 में से	0.042
101/3 में से	0.616	123 में से	0.805
102	4.180	104/1 ख-12 में से	0.031
103	4.023	108/16 ग 3	1.045
104/5 में से	0.941	108/21 ग में से	0.648
104/12 ख-2	1.023	104/10	3.135
104/12 ख-1	1.022	योग	<u>63.605</u>
104/13	2.090		
104/1 ख-8 में से	0.115	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मगरधा लघु सिंचाई परियोजना (बांध+डूब क्षेत्र)	
104/14/2	1.000		
108/1 में से	4.075	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व गुना एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग गुना के कार्यालय में किया जा सकता है.	
108/5	1.881		
108/3 क मेंसे	0.031		
108/3 ख में से	0.064		
108/4	3.135		
108/8/1	1.045		

प्र. क्र. 19-अ-82-2011-12-गणेशपुरा-744.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—गुना
(ख) तहसील—मकसूदनगढ़
(ग) नगर/ग्राम—गणेशपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.132 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
6	0.084
9	0.048
योग . .	<u>0.132</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मकसूदनगढ़ वायुपास रोड निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व, राघौगढ़ तथा कार्यपालन यंत्री, लो.नि.विभाग, संभाग गुना के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 20-अ-82-2011-12-अमरगढ़-745.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—गुना
(ख) तहसील—मकसूदनगढ़
(ग) नगर/ग्राम—अमरगढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.779 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
3/2 ख	0.470
4/1	0.186
4/2	0.123
योग . .	<u>0.779</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मकसूदनगढ़ वायुपास रोड निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व, राघौगढ़ तथा कार्यपालन यंत्री, लो.नि.विभाग, संभाग गुना के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 16 अक्टूबर 2012

क्र. एफ. 1578-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—उचेहरा
(ग) नगर/ग्राम—लोहरौरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.638 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
464	0.012
465	0.046
552	0.291
810/1	0.188
462/2	0.042
521	0.031
522	0.021
523	0.010
525	0.039
528	0.010
546	0.063
524	0.198
549	0.045
550	0.030
810/2	0.040
811	0.010
814/2/2	0.085

(1)	(2)
814/2/1क	0.326
815	0.042
805/1	0.036
805/2	0.021
774	0.010
792	0.100
793	0.031
1206	0.326
785	0.021
786	0.005
790/2	0.126
780	0.029
777	0.056
763/2	0.248
1136/2क	0.071
1141/2	0.080
1188/2	0.049
1187/1ख	0.764
1188/1	0.049
1187/1क/1	0.081
1187/1क/2	0.006

निजी खाता योग रकबा . . . 3.638

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन की आवश्यकता है—सतना जिले में रिंग रोड के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 10 अक्टूबर 2012

क्र. 8585- प्र. भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—सागर

(ग) ग्राम—हीरापुर	
(घ) लगभग क्षेत्रफल— 0.552 हेक्टर.	
खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
23	0.072
24/1	0.040
24/2	0.200
25	0.240
योग . . .	<u>0.552</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—सूखानाला जलाशय योजना के बांध कार्य हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सागर, दिनांक 16 अक्टूबर 2012

क्र. 8718- प्र. भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
(ख) तहसील—देवरी
(ग) ग्राम—धुलतरा, प. ह. नं. -30
(घ) लगभग क्षेत्रफल— 2.59 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
269	0.01
275/2	0.10
275/4	
275/5	0.16
275/6	0.11
276/2	0.02
277/1	0.10
277/2	0.10
279/1	0.14
279/2	0.14
280	0.28
281/1	0.07
281/2	0.08
305/1	0.24

(1)	(2)	(1)	(2)
306/1	0.13	215/3-215/4	0.150
306/2	0.19	224/1	0.198
307/1	0.15	224/3	0.060
308	0.17	205/2 216/2	0.144
310	0.25	205/12 216/3	0.036
311	0.15		
		योग . .	<u>0.885</u>

योग . . 2.59

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—सतधारा जलाशय योजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2012

प्र. क्र. 02-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—वकस्वाहा

(ग) नगर/ग्राम—नैनागिर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.885 हेक्टर. निजी भूमि—0.885
शासकीय भूमि—निरंक
योग -0.885

खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
225/4	0.096
225/3	0.060
215/7	0.075
225/2	0.024
216/4-205/26	0.042

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—खिरिया बुजुर्ग तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जा रही भूमि में नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश बहुगुणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 11 अक्टूबर 2012

क्र. 3080-भू-अर्जन-कार्य-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इस नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—हुजूर

(ग) ग्राम—रहट

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.177 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
70	0.282
666	0.020
708	0.043
711	0.032
1469	0.075
1485	0.026
1486	0.024
1525	0.038
1530/2/ख	0.029

(1)	(2)
1537/2	0.074
1538/1	0.036
1542	0.141
1631	0.019
1632	0.016
1659/3	0.016
1659/4	0.064
1680	0.026
1681/1	0.140
1682/2	0.009
1684	0.007
1702	0.124
1705	0.077
1888	0.152
1889	0.055
1890	0.124
1903	0.38
1947	0.032
1954	0.020
1955	0.032
100/3	0.024
94	0.040

योग . . . 2.177

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली चचाई वितरक नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3082-भू-अर्जन-कार्य-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इस नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सेमरिया
(ग) ग्राम—कपसा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.281 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
507	0.006
510	0.036

(1)	(2)
511	0.151
809	0.088
योग . . .	<u>0.281</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली चचाई वितरक नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 17 अक्टूबर 2012

क्र. 3103-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इस नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—बेला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.044 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1100/2	0.044
योग . . .	<u>0.044</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना बाँध के अन्तर्गत गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर निर्माण में आने वाले निजी भूमि/शासकीय भूमि के संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश				(1)	(2)	(3)	(4)
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,				391/4	0.101	0.101	--,-
राजस्व विभाग				391/5	0.053	0.053	--,-
अनूपपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2012				391/6	0.121	0.121	--,-
भू-अर्जन प्र. क्र. 1-अ-82-2012-13.—चूँकि, कलेक्टर एवं				392/1/क	0.236		--,-
पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला अनूपपुर द्वारा अधिसूचना				392/2	0.202	0.614	--,-
दिनांक 30 जून 2012 द्वारा यह अधिसूचित किया जा चुका है कि				392/3	0.202		--,-
ग्राम खेतगांव, तहसील पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर की 375.290				399/2	0.684	0.020	--,-
हेक्टेयर भूमि को निम्नलिखित सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये				399/3	0.600	0.068	--,-
आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः यह				400	3.249	2.824	--,-
घोषणा की जाती है कि अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत राज्य				402/1	2.545	2.545	--,-
शासन का समाधान हो गया है कि निम्नलिखित अनुसूची में				402/2	1.214	1.214	--,-
दर्शाई गई भूमि की आवश्यकता उसके सामने दर्शाये लोक प्रयोजन				403/1	0.889	0.889	--,-
हेतु है:—				403/2	1.254	1.254	--,-
अनुसूची				403/3	1.665	1.665	--,-
(1) भूमि का वर्णन—				404/1	0.312	0.312	--,-
(क) जिला—अनूपपुर				404/2	0.312	0.312	--,-
(ख) तहसील—पुष्पराजगढ़				404/3	0.319	0.319	--,-
(ग) ग्राम—खेतगांव				405	2.055	2.055	--,-
खसरा				406	0.024	0.024	--,-
कुल	प्रस्तावित	सार्वजनिक प्रयोजन		407/1	0.571	0.571	--,-
क्षेत्रफल	अर्जन का	का नाम		407/2/क	0.143	0.143	--,-
(1)	(2)	(3)	(4)	407/2/ख	0.142	0.142	--,-
346/2/क	0.072		अपर नर्मदा बांध	407/2/ग	0.143	0.143	--,-
346/2/ख	0.072	0.109	निर्माण, डूब क्षेत्र	407/2/घ	0.143	0.143	--,-
346/2/ग	0.072		एवं अन्य संबंधित	408	1.343	1.343	--,-
346/2/घ	0.072		कार्यो हेतु.	409	1.011	1.011	--,-
347	0.173	0.105	--,-	410	0.809	0.809	--,-
349	0.829	0.020	--,-	411/1	0.804	0.804	--,-
350/1	1.214	0.964	--,-	411/2	0.803	0.803	--,-
350/2	0.075	0.075	--,-	412	0.886	0.886	--,-
350/3	0.152	0.152	--,-	413	1.356	1.356	--,-
351/1	0.405	0.405	--,-	414/1	1.522	1.522	--,-
351/2	0.695	0.695	--,-	414/2	0.407	0.407	--,-
352/1	0.308	0.308	--,-	415	0.890	0.890	--,-
352/2	0.150	0.150	--,-	416	0.470	0.470	--,-
353	1.433	1.433	--,-	417/1	0.050	0.050	--,-
354	1.331	0.435	--,-	417/2	0.043	0.043	--,-
390	0.474	0.474	--,-	418	0.206	0.206	--,-
391/1	0.506	0.506	--,-	418/1216	0.146	0.146	--,-
391/2	0.256	0.256	--,-	419/1	0.210	0.210	--,-
391/3	0.607	0.607	--,-	419/2	0.155	0.155	--,-

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
419/3	0.352	0.352	-,,-	443/1	0.372	0.372	-,,-
420/1	0.675	0.675	-,,-	443/2	0.372	0.372	-,,-
420/2	0.680	0.680	-,,-	443/3	0.372	0.372	-,,-
420/3	0.680	0.680	-,,-	444	0.765	0.765	-,,-
420/1217	0.688	0.688	-,,-	445	0.737	0.737	-,,-
421	1.655	1.655	-,,-	446	1.080	1.080	-,,-
422	1.526	1.526	-,,-	447/1/ग	0.208	0.070	-,,-
423/1	0.445	0.445	-,,-	447/1/घ	0.208	0.208	-,,-
423/2	0.405	0.405	-,,-	447/1/ङ	0.208	0.208	-,,-
423/3	0.202	0.202	-,,-	447/1/च	0.208	0.208	-,,-
424	0.069	0.069	-,,-	447/2/क	0.631	0.005	-,,-
425	0.344	0.344	-,,-	447/2/ख	0.632	0.305	-,,-
426/1	0.328	0.328	-,,-	448	0.607	0.607	-,,-
426/2	0.328	0.328	-,,-	449/1	1.534	1.712	-,,-
426/3	0.328	0.328	-,,-	449/2	0.384		-,,-
426/4	0.332	0.332	-,,-	450/1/क	0.234		-,,-
427	0.866	0.866	-,,-	450/1/ख	0.337	0.150	-,,-
428/1/क	0.120	0.120	-,,-	450/2	0.202		-,,-
428/1/ख	0.487	0.487	-,,-	453	0.632	0.245	-,,-
428/2	0.587	0.587	-,,-	454	0.862	0.817	-,,-
429/1	0.654	0.654	-,,-	455/1	0.244	0.244	-,,-
429/2	0.651	0.651	-,,-	455/2	0.244	0.244	-,,-
430/1	0.411	0.411	-,,-	455/3	0.244	0.244	-,,-
430/2	0.410	0.410	-,,-	456/1	0.809	0.756	-,,-
431	0.372	0.372	-,,-	456/2	0.821		-,,-
432	0.672	0.672	-,,-	514/1	0.760	0.020	-,,-
433/1	0.729	0.729	-,,-	514/2	0.628		-,,-
433/2	0.728	0.728	-,,-	516	0.926	0.195	-,,-
434	0.769	0.769	-,,-	517	1.550	0.425	-,,-
435	0.376	0.376	-,,-	518	0.129	0.129	-,,-
436/1	0.552	0.552	-,,-	519	2.148	2.148	-,,-
436/2	0.552	0.552	-,,-	520	0.717	0.717	-,,-
437	0.409	0.409	-,,-	521/1	0.405	0.944	-,,-
438/1	0.081	0.081	-,,-	521/2	0.699		-,,-
438/2	0.081	0.081	-,,-	522	2.549	2.549	-,,-
438/3	0.081	0.081	-,,-	523/1	0.639	1.279	-,,-
439	1.558	1.558	-,,-	523/2	0.644		-,,-
440	0.668	0.668	-,,-	524/1	0.813	0.813	-,,-
441	0.680	0.680	-,,-	524/2	0.813	0.813	-,,-
442/1	0.941	0.941	-,,-	525	0.761	0.761	-,,-
442/2	0.972	0.972	-,,-	526	1.311	1.311	-,,-

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
527/1	0.292	0.292	--,-	552/1	0.280	0.280	--,-
527/2	0.292	0.292	--,-	552/2	0.279	0.279	--,-
527/3	0.291	0.291	--,-	553	0.433	0.433	--,-
528/1	0.692	0.692	--,-	554	0.591	0.591	--,-
528/2	0.692	0.692	--,-	555	0.514	0.514	--,-
528/3	0.688	0.688	--,-	556/1	0.680	0.680	--,-
529/1	0.497	0.497	--,-	556/2	0.680	0.680	--,-
529/2	0.405	0.405	--,-	557	0.045	0.045	--,-
530/1	0.498	0.498	--,-	558	0.101	0.101	--,-
530/2	0.578	0.578	--,-	559	0.174	0.174	--,-
531	0.684	0.684	--,-	560	2.610	2.610	--,-
532	0.926	0.926	--,-	561	0.749	0.749	--,-
533/2	0.162	0.162	--,-	562/1	0.676	1.012	--,-
533/3	0.101	0.101	--,-	562/2	0.675		--,-
533/4	0.202	0.202	--,-	566	0.154	0.030	--,-
534	0.138	0.138	--,-	567	0.134	0.130	--,-
535/1	0.352	0.352	--,-	569/2/क	0.205		--,-
535/2	0.356	0.358	--,-	569/2/ख	0.203	0.371	--,-
536	0.934	0.934	--,-	569/3	0.101		--,-
537	0.704	0.704	--,-	570	0.994	0.994	--,-
538	1.736	1.736	--,-	571	1.590	1.388	--,-
540/1	0.248	0.248	--,-	572/1	0.526	0.352	--,-
540/2	0.248	0.248	--,-	572/2	0.526		--,-
540/3	0.248	0.248	--,-	607/1	0.526	0.225	--,-
541	1.202	1.202	--,-	607/2	0.522		--,-
542/1/क	0.736	0.736	--,-	628	0.437	0.040	--,-
542/1/ख	0.735	0.735	--,-	629	0.490	0.230	--,-
542/2	0.245	0.245	--,-	630/1	0.261		--,-
543/1	0.342	0.342	--,-	630/2	0.141	0.185	--,-
543/2	0.342	0.342	--,-	630/3	0.141		--,-
544	0.599	0.599	--,-	631/2	0.008	0.008	--,-
545	1.193	1.193	--,-	632	0.162	0.162	--,-
546	1.133	1.133	--,-	633	0.409	0.409	--,-
547/1	0.813	0.813	--,-	634/1	1.335	1.335	--,-
547/2	0.814	0.814	--,-	634/2	0.486	0.486	--,-
548/1	0.822	0.822	--,-	634/3	0.146	0.146	--,-
548/2	0.821	0.821	--,-	635	0.089	0.089	--,-
549	1.348	1.348	--,-	636	1.072	1.072	--,-
550	0.255	0.255	--,-	637	0.028	0.028	--,-
551/1	0.028	0.028	--,-	638/1	0.263	0.263	--,-
551/2	0.405	0.405	--,-	638/2	0.263	0.263	--,-

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
639	0.312	0.312	--,-	719/2	1.011	1.011	--,-
640/1/ख	0.202			719/3/क	0.405	0.405	--,-
640/1/ग	0.202		--,-	719/3/ख	0.607	0.607	--,-
640/2	0.243	0.917		719/4	1.011	1.011	--,-
640/3	0.101			720/1/क	0.696	0.696	--,-
640/4	0.041			720/1/ख	0.696	0.696	--,-
641/1	0.940	0.560	--,-	720/1/ग	0.696	0.696	--,-
641/2	0.380			720/2/क	0.405	0.405	--,-
672	0.304	0.050	--,-	720/2/ख	0.264	0.264	--,-
673/1	0.108			720/3	0.267	0.267	--,-
673/2	0.108	0.268	--,-	720/4	0.809	0.809	--,-
673/3	0.104			720/5	0.405	0.405	--,-
675	0.340	0.081	--,-	721	1.327	1.327	--,-
676/1	0.195	0.170	--,-	722	0.360	0.360	--,-
676/2	0.202			723	0.765	0.765	--,-
705	0.291	0.016	--,-	724	0.825	0.825	--,-
706	0.384	0.048	--,-	725	0.429	0.429	--,-
707	0.214	0.206	--,-	727	0.502	0.502	--,-
708/1	0.109	0.109	--,-	728	0.829	0.829	--,-
708/2	0.405	0.405	--,-	729/1	0.619	0.619	--,-
708/3	0.203	0.203	--,-	729/2	0.623	0.623	--,-
709/1/क	0.416	0.416	--,-	729/3	0.202	0.202	--,-
709/1/ख	0.203	0.203	--,-	729/4	0.421	0.421	--,-
709/2	0.615	0.615	--,-	730/1	1.182	1.182	--,-
710/1/क	0.314	0.314	--,-	730/2	0.340	0.340	--,-
710/1/ख	0.314	0.314	--,-	731/1	1.205	1.205	--,-
710/2	0.226	0.226	--,-	731/2	0.405	0.405	--,-
711/1	0.753	0.753	--,-	732	1.056	1.056	--,-
711/2	0.878	0.878	--,-	733/1	0.651	0.651	--,-
711/3	0.635	0.635	--,-	733/2	0.405	0.405	--,-
712/1	0.457	0.457	--,-	734	1.003	1.003	--,-
712/2	0.457	0.457	--,-	735/1	0.522	0.522	--,-
713	0.575	0.575	--,-	735/2	0.522	0.522	--,-
714	0.121	0.121	--,-	736	0.959	0.959	--,-
715	0.405	0.405	--,-	737	0.494	0.494	--,-
716	0.841	0.841	--,-	738/1	0.214	0.214	--,-
717/1	0.045	0.045	--,-	738/2	0.224	0.224	--,-
717/2	0.101	0.101	--,-	738/3	0.255	0.255	--,-
717/3	0.040	0.040	--,-	738/4	0.255	0.255	--,-
718	0.388	0.388	--,-				
719/1	1.103	1.103	--,-				

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
740/1	0.197			868/1	0.709		
740/2	0.197			868/2	0.364	0.445	-,,-
740/3	0.197	0.222	-,,-	868/3	0.728		
740/4	0.409			868/4	0.364		
742/1	2.383			871/1	0.202		
742/2	0.280	1.455	-,,-	871/2	0.223		
742/3	0.202			871/3	0.292	0.955	-,,-
755	0.308	0.198	-,,-	871/4	0.809		
756/1/ख	0.094	0.094	-,,-	871/5	0.223		
756/2	0.583	0.583	-,,-	872/2	0.405	0.384	-,,-
756/3	0.578	0.578	-,,-	873/1	0.328	0.032	-,,-
756/4	0.109	0.109	-,,-	873/2	0.332		
757	0.530	0.530	-,,-	887/1	0.284	0.202	-,,-
758	0.894	0.894	-,,-	887/2	0.284		
759	0.081	0.081	-,,-	888/1	1.518		
760/2	0.809	0.809	-,,-	888/2/क	0.500		
760/3	0.530	0.530	-,,-	888/2/ख	0.405	3.135	-,,-
761/1	0.283	0.283	-,,-	888/3	1.421		
761/2	0.283	0.283	-,,-	888/4	0.785		
761/3	0.283	0.283	-,,-	888/5	1.036		
763	0.534	0.534	-,,-	890/2	0.036	0.012	-,,-
764/1	0.081	0.081	-,,-	892/1/क	0.146	0.146	-,,-
764/2	0.079	0.079	-,,-	892/1/ख	0.140	0.140	-,,-
765	0.192	0.192	-,,-	892/1/ग	0.136	0.136	-,,-
766	0.380	0.380	-,,-	892/2	0.413	0.413	-,,-
767/1	0.344	0.523	-,,-	893/1	0.188	0.188	-,,-
767/2	0.344			893/2	0.168	0.168	-,,-
768	0.425	0.101		893/3	0.188	0.188	-,,-
769	0.837	0.612	-,,-	893/4	0.189	0.189	-,,-
770	0.239	0.239	-,,-	894	1.137	1.137	-,,-
772	0.567	0.567	-,,-	895/1	0.209	0.209	-,,-
773	0.356	0.356	-,,-	895/2	0.288	0.288	-,,-
774	0.368	0.360	-,,-	896	1.145	1.145	-,,-
775	1.133	0.565	-,,-	897	0.636	0.636	-,,-
778/1	0.484			898	0.393	0.393	-,,-
778/2	0.484			899	0.934	0.934	-,,-
778/3	0.484	0.004	-,,-	900	0.239	0.239	-,,-
778/4	0.484			902	1.100	1.100	-,,-
779	0.951	0.070	-,,-	903/1	0.663	0.663	-,,-
795/1/क	0.260			903/2	0.494	0.494	-,,-
795/1/ख	0.258	0.028	-,,-	904/1	0.504	0.504	-,,-
795/2	0.518						

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
904/2	0.504	0.504	--,-	1006/3	0.474	0.473	--,-
905	1.060	1.060	--,-	1007	0.186	0.186	--,-
906	0.802	0.802	--,-	1008	0.534	0.190	--,-
907	0.206	0.206	--,-	1009	0.401	0.171	--,-
908/1	0.619	0.619	--,-	1010	0.709	0.185	--,-
908/2	0.619	0.619	--,-	1028/1	0.524	0.524	--,-
909/1	0.522	0.522	--,-	1028/2	0.524	0.524	--,-
909/2	0.522	0.522	--,-	1029	0.332	0.332	--,-
910	0.729	0.729	--,-	1031	0.308	0.308	--,-
911	0.077	0.077	--,-	1032/1	0.384	0.384	--,-
912	0.510	0.510	--,-	1032/2	0.380	0.380	--,-
913	0.303	0.303	--,-	1033	0.401	0.401	--,-
914	0.356	0.300	--,-	1034/1	0.624	0.624	--,-
915	0.806	0.008	--,-	1034/2	0.624	0.624	--,-
916/2	0.140	0.008	--,-	1035/1	0.305	0.305	--,-
917	0.745	0.445	--,-	1035/2	0.305	0.305	--,-
918/1	1.052	0.020	--,-	1036	0.364	0.364	--,-
918/2	0.202		--,-	1037	0.417	0.417	--,-
924	0.926	0.405	--,-	1038	1.145	1.145	--,-
925	0.454	0.227	--,-	1039	1.291	1.291	--,-
926	0.785	0.785	--,-	1040	0.162	0.162	--,-
927	1.518	1.518	--,-	1041	0.615	0.615	--,-
928	0.729	0.725	--,-	1042/1	0.287	0.287	--,-
930	0.575	0.036	--,-	1042/2	0.287	0.287	--,-
1002/1	0.097		--,-	1042/3	0.287	0.287	--,-
1002/2	0.283	0.101	--,-	1042/4	0.287	0.287	--,-
1002/3	0.765		--,-	1044	0.615	0.615	--,-
1002/4	0.382		--,-	1045	1.566	1.566	--,-
1003/1/क	0.096		--,-	1046	2.239	2.039	--,-
1003/1/ख	0.096	0.880	--,-	1047/1	1.600	1.600	--,-
1003/2	0.698		--,-	1047/2	0.152	0.152	--,-
1004/1	0.132	0.132	--,-	1048	0.624	0.624	--,-
1004/2	0.132	0.132	--,-	1049	0.417	0.417	--,-
1005/1	0.131	0.131	--,-	1050/1	0.587	0.587	--,-
1005/2/क	0.303	0.303	--,-	1050/2	0.587	0.587	--,-
1005/2/ख	0.302	0.302	--,-	1050/3	0.587	0.587	--,-
1005/3	0.121	0.121	--,-	1051/1	1.086	1.086	--,-
1005/4	0.262	0.262	--,-	1051/2	1.085	1.085	--,-
1005/5	0.101	0.101	--,-	1051/3	1.086	1.086	--,-
1006/1	0.474	0.474	--,-	1051/4	1.086	1.086	--,-
1006/2	0.473	0.473	--,-	1052/1	0.405	0.405	--,-
				1052/2	0.235	0.235	--,-
				1053	1.230	1.230	--,-
				1054	1.104	1.104	--,-

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
1055	0.105	0.105	--,-	1079/3	0.061	0.061	--,-
1056/1	1.807	1.807	--,-	1079/4	0.202	0.202	--,-
1056/2	0.809	0.809	--,-	1080	1.242	1.242	--,-
1057/1	0.710	0.710	--,-	1081	1.457	1.457	--,-
1057/2	0.216	0.216	--,-	1082	0.467	0.467	--,-
1057/3	0.405	0.405	--,-	1083	0.882	0.882	--,-
1058	0.841	0.841	--,-	1084	0.384	0.384	--,-
1059	1.088	1.088	--,-	1085/1	0.894	0.894	--,-
1060/1	0.777	0.777	--,-	1085/2	0.890	0.890	--,-
1060/2	0.777	0.777	--,-	1086	0.737	0.737	--,-
1061	1.023	1.023	--,-	1087	0.833	0.833	--,-
1062/1	0.255	0.255	--,-	1088	0.421	0.421	--,-
1062/2	0.405	0.405	--,-	1089	0.190	0.190	--,-
1063	0.490	0.490	--,-	1090	0.109	0.109	--,-
1064/1	0.916	0.916	--,-	1091/1	0.152	0.152	--,-
1064/2	0.508	0.508	--,-	1091/2	0.156	0.156	--,-
1065/1	0.477	0.477	--,-	1092/1	0.164	0.164	--,-
1065/2	0.405	0.405	--,-	1092/2	0.164	0.164	--,-
1066/1	0.590	0.590	--,-	1093	0.109	0.109	--,-
1066/2	0.202	0.202	--,-	1094	0.219	0.219	--,-
1066/3	0.202	0.202	--,-	1095	2.711	2.711	--,-
1067	0.640	0.640	--,-	1096	0.368	0.368	--,-
1068	3.423	3.423	--,-	1097/1	0.294	0.294	--,-
1069/1	1.765	1.765	--,-	1097/2	0.292	0.292	--,-
1069/2/क	0.101	0.101	--,-	1097/3	0.295	0.295	--,-
1069/2/ख	0.101	0.101	--,-	1098	0.308	0.308	--,-
1069/3	0.202	0.202	--,-	1099	1.076	1.076	--,-
1069/4	0.405	0.405	--,-	1103	0.490	0.490	--,-
1070/1	1.600	1.600	--,-	1104/1	0.073	0.073	--,-
1070/2	0.352	0.352	--,-	1104/2	0.028	0.028	--,-
1071/1	0.518	0.518	--,-	1104/3	0.028	0.028	--,-
1071/2	0.518	0.518	--,-	1104/4	0.024	0.024	--,-
1072	0.454	0.454	--,-	1105	0.105	0.105	--,-
1073	1.056	1.056	--,-	1106/1	0.348	0.348	--,-
1074	0.906	0.906	--,-	1106/2	0.345	0.345	--,-
1075	1.562	1.562	--,-	1106/3	0.348	0.348	--,-
1076/1	1.036	1.036	--,-	1107	0.619	0.619	--,-
1076/2	0.506	0.506	--,-	1108	0.263	0.263	--,-
1076/3	0.303	0.303	--,-	1110/1	0.385	0.385	--,-
1077/1	0.303	0.303	--,-	1110/2	0.384	0.384	--,-
1077/2	0.316	0.316	--,-	1111/2	0.089	0.089	--,-
1078/1	1.215	1.215	--,-	1112	1.817	1.817	--,-
1078/2	0.810	0.810	--,-	1114	1.781	1.781	--,-
1079/2	0.101	0.101	--,-	1115/1	0.492	0.492	--,-

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
1115/2	0.492	0.492	--,-	1138/2	0.548	0.548	--,-
1116/1	0.180	0.180	--,-	1139	1.072	1.072	--,-
1116/2	0.184	0.184	--,-	1140	0.563	0.563	--,-
1117	0.648	0.648	--,-	1141	0.741	0.741	--,-
1118/1	1.315	1.315	--,-	1142	0.583	0.583	--,-
1118/2	1.319	1.319	--,-	1143	0.223	0.223	--,-
1119	0.170	0.170	--,-	1144	1.096	1.096	--,-
1120/1	0.696	0.696	--,-	1145/1	0.237	0.237	--,-
1120/2	0.696	0.696	--,-	1145/2	0.476	0.476	--,-
1121/2	0.202	0.202	--,-	1146/1	0.388	0.388	--,-
1121/3	0.101	0.101	--,-	1146/2	0.777	0.777	--,-
1121/4	0.202	0.202	--,-	1147	0.454	0.454	--,-
1121/5	0.214	0.214	--,-	1148/2/क	0.020	0.020	--,-
1121/6	0.142	0.142	--,-	1148/2/ख	0.020	0.020	--,-
1122	0.704	0.704	--,-	1148/2/ग	0.020	0.020	--,-
1123	0.789	0.789	--,-	1148/2/घ	0.020	0.020	--,-
1124	0.765	0.765	--,-	1148/3	0.020	0.020	--,-
1125	1.197	1.197	--,-	1148/4	0.304	0.304	--,-
1126/1	0.472	0.472	--,-	1148/5	0.243	0.243	--,-
1126/2	0.464	0.464	--,-	1149/1	0.264	0.264	--,-
1126/3	0.464	0.464	--,-	1149/2/क	0.128	0.128	--,-
1127/1	0.252	0.252	--,-	1149/2/ख	0.132	0.132	--,-
1127/2	0.244	0.244	--,-	1149/3	0.266	0.266	--,-
1127/3	0.248	0.248	--,-	1150	0.259	0.259	--,-
1128/1	0.919	0.919	--,-	1151/1	1.336	1.336	--,-
1128/2	0.919	0.919	--,-	1151/2	1.352	1.352	--,-
1129/1	0.241	0.241	--,-	1151/3	1.336	1.336	--,-
1129/2	0.241	0.241	--,-	1152/2	0.202	0.202	--,-
1130/1	0.263	0.263	--,-	1152/3	0.202	0.202	--,-
1130/2	0.263	0.263	--,-	1153	0.700	0.700	--,-
1131	0.210	0.210	--,-	1154	0.644	0.644	--,-
1132/2	0.040	0.040	--,-	1157	0.129	0.129	--,-
1132/3	0.405	0.405	--,-	1158/1	0.266	0.266	--,-
1132/4	0.405	0.405	--,-	1158/2	0.266	0.266	--,-
1133	0.134	0.134	--,-	1158/3	0.266	0.266	--,-
1134/1	0.342	0.342	--,-	1159/1	0.477	0.477	--,-
1134/2	0.342	0.342	--,-	1159/2	0.478	0.478	--,-
1135/1	1.076	1.076	--,-	1159/3	0.478	0.478	--,-
1135/2	1.076	1.076	--,-	1160	0.934	0.934	--,-
1136	0.466	0.466	--,-	1161/1	0.151	0.151	--,-
1137/1	0.910	0.910	--,-	1161/2	0.152	0.152	--,-
1137/2/1	2.890	2.890	--,-	1161/3	0.151	0.151	--,-
1137/2/2	0.668	0.668	--,-	1162/1/क	0.368	0.368	--,-
1137/2/3	0.142	0.142	--,-	1162/1/ख	0.372	0.372	--,-
1138/1	0.548	0.548	--,-	1162/2	0.809	0.809	--,-

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
1163/2	0.134	0.134	--,-	1192/2	0.340	0.340	--,-
1163/3	0.210	0.210	--,-	1192/3	0.340	0.340	--,-
1164	0.405	0.405	--,-	1193/1/क	0.604	0.604	--,-
1165	1.728	1.728	--,-	1193/1/ख	0.608	0.608	--,-
1167	1.449	1.449	--,-	1193/2	1.226	1.226	--,-
1168	0.125	0.125	--,-	1194/1	0.154	0.154	--,-
1169/1	1.360	1.360	--,-	1194/2	0.154	0.154	--,-
1169/2	0.914	0.914	--,-	1194/3	0.420	0.420	--,-
1170	0.040	0.040	--,-	1196	1.505	1.505	--,-
1172	0.251	0.251	--,-	1197	1.570	1.570	--,-
1173/1/क	0.405	0.405	--,-	1198/1	0.083	0.083	--,-
1173/1/ख	0.405	0.405	--,-	1198/2	0.601	0.601	--,-
1173/1/ग	0.405	0.405	--,-	1199/1	0.134	0.134	--,-
1173/2/क	0.680	0.680	--,-	1199/2	0.133	0.133	--,-
1173/2/ख	0.680	0.680	--,-	1199/3	0.134	0.134	--,-
1173/3	0.405	0.405	--,-	1200/1/क	0.588	0.588	--,-
1174/1	0.433	0.433	--,-	1200/1/ख	0.588	0.588	--,-
1174/2	0.433	0.433	--,-	1200/2	1.176	1.176	--,-
1175	0.781	0.781	--,-	1201/1	0.203	0.203	--,-
1176/1	0.462	0.462	--,-	1201/2	0.203	0.203	--,-
1176/2	0.462	0.462	--,-	1202	1.250	1.250	--,-
1177	4.006	4.006	--,-	1203	0.328	0.328	--,-
1178	2.120	2.120	--,-	1205/1	0.086	0.086	--,-
1180/1	0.736	0.736	--,-	1205/2	0.170	0.170	--,-
1180/2	0.740	0.740	--,-	1205/3/क	0.084	0.084	--,-
1180/3	0.736	0.736	--,-	1205/3/ख	0.084	0.084	--,-
1181/1	0.411	0.411	--,-	1205/4	0.170	0.170	--,-
1181/2	0.412	0.412	--,-	1205/5	0.304	0.304	--,-
1181/3	0.411	0.411	--,-	1206/1/क	1.096	1.096	--,-
1182	0.498	0.498	--,-	1206/1/ख	1.092	1.092	--,-
1183/1	0.580	0.580	--,-	1206/2	2.213	2.213	--,-
1183/2	0.584	0.584	--,-	1207	1.963	1.963	--,-
1183/3	0.580	0.580	--,-	1209	0.769	0.769	--,-
1183/4	0.584	0.584	--,-				
1184	0.700	0.700	--,-				
1185	0.380	0.380	--,-				
1186/1	0.081	0.081	--,-				
1186/2	0.170	0.170	--,-				
1187	0.789	0.789	--,-				
1188	0.336	0.336	--,-				
1189/1	0.077	0.077	--,-				
1189/2	0.405	0.405	--,-				
1190	0.555	0.555	--,-				
1191	2.772	2.772	--,-				
1192/1	0.360	0.360	--,-				

विभाग/प्राधिकारी अधिकारी—कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास
संभाग क्र. 1, डिण्डौरी (म. प्र.).

टिप्पणी.—भूमि का नक्शा, प्लान एवं अन्य विवरण, भू-
अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, अपर नर्मदा परियोजना
राजेन्द्रग्राम एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास
संभाग क्र. 1, डिण्डौरी के कार्यालय में देखा जा
सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2012

क्र. A-2414-दो-2-32-2010.—श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को दिनांक 3 से 5 सितम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-7980-दो-2-37-2010.—श्री जसवन्त सिंह क्षत्रिय, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 16 से 20 अक्टूबर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 से 15 अक्टूबर 2012 तक के एवं पश्चात् में दिनांक 21 से 28 अक्टूबर 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री जसवन्त सिंह क्षत्रिय, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जसवन्त सिंह क्षत्रिय, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-7984-दो-2-5-2006.—श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 24 से 28 अगस्त 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जयश्री वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-7989-दो-2-26-2012.—श्री हरिशंकर वैश्य, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 24 सितम्बर 2012 से 1 अक्टूबर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 सितम्बर 2012 के एवं पश्चात् में दिनांक 2 अक्टूबर 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री हरिशंकर वैश्य, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हरिशंकर वैश्य, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-8002-दो-3-26-2002.—श्री जे. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को दिनांक 6 से 7 सितम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री जे. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-8004-दो-2-22-2012.—श्री ए. एस. तोमर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को दिनांक 16 से 20 अक्टूबर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 से 15 अक्टूबर 2012 तक के एवं पश्चात् में दिनांक 21 से 28 अक्टूबर 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री ए. एस. तोमर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. एस. तोमर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-8006-दो-2-17-2012.—श्रीमती नरिन्दर वीर कौर कान्द्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 28 अगस्त 2012 से 1 सितम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती नरिन्दर वीर कौर कान्द्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती नरिन्दर वीर कौर कान्द्रा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-8008-दो-2-37-2011.—श्री सी. व्ही. सिरपुरकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को दिनांक 12 से 14 सितम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री सी. व्ही. सिरपुरकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सी. व्ही. सिरपुरकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-8010-दो-2-49-2007.—श्री जी. के. शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, इंदौर को दिनांक 10 से 15 सितम्बर, 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 8 से 9 सितम्बर 2012 तक के एवं पश्चात् में दिनांक 16 सितम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री जी. के. शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. के. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2012

क्र. C-7986-दो-2-16-2010.—श्री रामकुमार चौबे, ओ.एस.डी., जे.ओ.टी.आर.आई., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 3 से 12 अक्टूबर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13, 14 एवं 15 अक्टूबर 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री रामकुमार चौबे, ओ.एस.डी., जे.ओ.टी.आर.आई., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रामकुमार चौबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ.एस.डी. के पद पर कार्यरत रहते।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.